



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Employees' State Insurance Corporation

वार्षिक लेखे  
ANNUAL ACCOUNTS  
2 0 2 3 - 2 0 2 4



# वार्षिक लेखे ANNUAL ACCOUNTS

---

## 2 0 2 3 - 2 0 2 4



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Employees' State Insurance Corporation

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110 002

Toll-Free No.1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839

Website: [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in), [www.esic.in](http://www.esic.in)

 @esichq  @esichq  @esichq  @esichq  @esichq  @esichq  @esichq



# वार्षिक लेखे 2023-2024

## विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	4
2	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा	6
3	अनुसूची 1-समग्र / पूंजी निधि	8
4	अनुसूची 2-आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	8
5	अनुसूची 3-उद्दिष्ट निधियाँ	10
6	अनुसूची 4-प्रतिभूत ऋण एवं उधार	12
7	अनुसूची 5 - प्रतिभूत रहित ऋण और उधार	14
8	अनुसूची 6 -आस्थगित ऋण देयताएं	14
9	अनुसूची 7-वर्तमान देयताएं और प्रावधान	16
10	अनुसूची 8- स्थायी परिसंपत्तियाँ	18
11	अनुसूची 9- उद्दिष्ट निधियों से निवेश	20
12	अनुसूची 10- निवेश- सामान्य आरक्षित निधियाँ/अन्य निधियाँ	20
13	अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियां आदि	22
14	अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी)	24
15	अनुसूची 12- अंशदान/बिक्री/सेवा से आय	26
16	अनुसूची 13- अनुदान/सहायिकी	26
17	अनुसूची 14- शुल्क/अभिदान	28
18	अनुसूची 15- निवेश से आय	28
19	अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	30
20	अनुसूची 17- अर्जित ब्याज	30
21	अनुसूची 18-अन्य आय	32
22	अनुसूची 19-तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)	32
23	अनुसूची 20-बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	34
24	अनुसूची 20 - ख नकद हितलाभ	36
25	अनुसूची 20 - ग अन्य हितलाभ	36
26	अनुसूची 20 - घ चिकित्सा शिक्षा	38
27	अनुसूची 21 - (क) स्थापना व्यय - अधीक्षण	40
28	अनुसूची 21 - ख स्थापना खर्च - क्षेत्र कार्य	40
29	अनुसूची 21 - स्थापना खर्च	42
30	अनुसूची 22 - अन्य प्रशासनिक व्यय	44
31	अनुसूची 23 - अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	46
32	अनुसूची 23 क - ब्याज	46
33	अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	48
34	अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	50-66
35	अनुसूची 26 - पूर्वावधि मर्दे	68
36	निवेश - उद्दिष्ट आरक्षित निधियां	70
37	निवेश - गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधियां	72
38	31 मार्च, 2024 को सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान	74
39	वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा	76



## CONTENT

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	Balance Sheet as at 31st March, 2024	5
2	Income and Expenditure Account for the Year Ended 31st March' 2024	7
3	Schedule 1- Corpus/Capital Fund	9
4	Schedule 2- Reserves And Surplus	9
5	Schedule 3 - Earmarked Funds	11
6	Schedule 4- Secured Loans And Borrowings	13
7	Schedule 5 – Unsecured Loans And Borrowings	15
8	Schedule 6 – Deferred Credit Liabilities	15
9	Schedule 7 - Current Liabilities and Provisions	17
10	Schedule 8 - Fixed Assets	19
11	Schedule 9- Investments from Earmarked Fund	21
12	Schedule 10-Investments – Non earmarked endowment funds	21
13	Schedule 11- Current Assets, Loans, Advances etc.	23
14	Schedule 11- Current Assets, Loans, Advances etc.( Contd.)	25
15	Schedule 12-Income From Contributions/Sales/Service	27
16	Schedule 13- Grants/Subsidies	27
17	Schedule 14- Fees/Subscriptions	29
18	Schedule 15- Income from Investments	29
19	Schedule 16- Income from Royalty, Publication etc.	31
20	Schedule 17- Interest Earned	31
21	Schedule 18- Other Income	33
22	Schedule 19- Increase/(Decrease) In Stock of Finished Goods & Work In Progress	33
23	Schedule 20 - Expenditure On Benefits To Insured Persons	35
24	Schedule 20 B - Cash Benefits	37
25	Schedule 20 C - Other Benefits	37
26	Schedule 20 D - Medical Education	39
27	Schedule 21 A - Establishment Expenses – Superintendents	41
28	Schedule 21 B - Establishment Expenses - Field Work	41
29	Schedule 21 - Establishment Expenses	43
30	Schedule 22 - Other Administrative Expenses	45
31	Schedule 23 - Expenditure On Grants, Subsidies Etc.	47
32	Schedule 23 A - Interest	47
33	Schedule 24 - Significant Accounting Policy	49
34	Schedule 25 - Contigent Liabilities and Notes on Accounts	51-67
35	Schedule 26 - Prior Period Items	69
36	Investment - Earmarked Reserve Funds	71
37	Investment - Non Earmarked Reserve Funds	73
38	G P F Receipts and Payments as on 31st March, 2024	75
39	Receipt & Payment Account for the Year 2023-24	77




## वार्षिक लेखे 2023-2024


### कर्मचारी राज्य बीमा निगम 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ करोड़ में

समग्र/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	2023-24	2022-23
समग्र/पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	1,25,844.42	1,17,404.38
उद्दिष्ट/अक्षय निधियां	3	41,644.05	37,131.05
प्रतिभूत ऋण एवं उधार	4	-	-
प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7	5,303.34	4,482.39
<b>कुल</b>		<b>1,72,791.81</b>	<b>1,59,017.82</b>
<b>परिसंपत्तियां</b>			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	18,241.78	16,890.97
निवेश-उद्दिष्ट/अक्षय निधियां	9	41,378.68	36,912.85
निवेश-गैर उद्दिष्ट/अक्षय निधियां	10	1,07,168.47	99,085.12
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि	11	6,002.88	6,128.88
विविध व्यय (बट्टे खाते डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		-	-
<b>कुल</b>		<b>1,72,791.81</b>	<b>1,59,017.82</b>
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियां	25		

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 27 मई, 2024

  
(राजेन्द्र कुमार)  
महानिदेशक

  
(टी.एल. यादेन)  
वित्त आयुक्त





## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION Balance Sheet as at 31st March, 2024

₹ in crore

Corpus/ Capital Fund And Liabilities	Schedule	2023-24	2022-23
Corpus/Capital Fund	1	-	-
Reserves And Surplus	2	1,25,844.42	1,17,404.38
Earmarked/ Endowment Funds	3	41,644.05	37,131.05
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	5,303.34	4,482.39
<b>Total</b>		<b>1,72,791.81</b>	<b>1,59,017.82</b>
<b>Assets</b>			
Fixed Assets	8	18,241.78	16,890.97
Investments-Earmarked/Endowment Funds	9	41,378.68	36,912.85
Investments-Non Earmarked/Endowment Funds	10	1,07,168.47	99,085.12
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	6,002.88	6,128.88
Miscellaneous Expenditure (To The Extent Not Written Off Or Adjusted )		-	-
<b>Total</b>		<b>1,72,791.81</b>	<b>1,59,017.82</b>
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities And Notes On Accounts	25		

Place : New Delhi  
Date : 27th May, 2024

  
(Rajendra Kumar)  
Director General

  
(T.L. Yaden)  
Financial Commissioner




## वार्षिक लेखे 2023-2024


### कर्मचारी राज्य बीमा निगम 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

₹ करोड़ में

आय	अनुसूची	2023-24	2022-23
अंशदान से आय	12	18,315.18	17,403.05
अनुदान/सहायिकी	13	-	1.50
शुल्क/अभिदान	14	65.67	56.58
निवेश से आय (गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधि)	15	7,420.80	6,735.71
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	12.16	9.37
अन्य आय	18	438.20	477.14
तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
<b>कुल (क)</b>		<b>26,252.01</b>	<b>24,683.35</b>
<b>व्यय</b>			
बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	20	15,825.32	14,407.54
स्थापना व्यय	21	1,634.10	935.74
अन्य प्रशासनिक व्यय	22	370.32	337.55
अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	23	-	-
ब्याज		-	-
मूल्यह्रास	8	49.77	55.57
<b>कुल (ख)</b>		<b>17,879.51</b>	<b>15,736.40</b>
<b>व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख)</b>		<b>8,372.50</b>	<b>8,946.95</b>
पूर्वावधि मर्दे (निवल)	26	67.54	(0.75)
पूँजीगत निर्माण आरक्षित के लिए प्रावधान	2	183.15	-
विशेष आरक्षित में अंतरण (आकस्मिकता आरक्षित)	2	-	-
सामान्य आरक्षित कोष में/से अंतरण	2	-	-
<b>अधिशेष के कारण शेष/(घाटा) को समग्र/पूँजी निधि/सामान्य आरक्षित में ले जाना</b>		<b>8,256.89</b>	<b>8,946.19</b>
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियां	25		

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 27 मई, 2024

  
(राजेन्द्र कुमार)  
महानिदेशक

  
(टी.एल. यादेन)  
वित्त आयुक्त



# Annual Accounts 2023-2024





## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION Income and Expenditure Account for the Year Ended 31st March' 2024

₹ in crore

Income	Schedule	2023-24	2022-23
Income from Contributions	12	18,315.18	17,403.05
Grants/Subsidies	13	-	1.50
Fees/Subscriptions	14	65.67	56.58
Income from Investments (non-earmarked reserves Fund)	15	7,420.80	6,735.71
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	12.16	9.37
Other Income	18	438.20	477.14
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19	-	-
<b>Total (A)</b>		<b>26,252.01</b>	<b>24,683.35</b>
<b>Expenditure</b>			
Expenditure on Benefits to Insured Persons	20	15,825.32	14,407.54
Establishments Expenses	21	1,634.10	935.74
Other Administrative Expenses	22	370.32	337.55
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	-	-
Interest		-	-
Depreciation	8	49.77	55.57
<b>Total (B)</b>		<b>17,879.51</b>	<b>15,736.40</b>
<b>Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)</b>		<b>8,372.50</b>	<b>8,946.95</b>
Prior Period Items(Net)	26	67.54	(0.75)
Provision for Capital Construction Reserve	2	183.15	-
Transfer to Special Reserve (Contingency reserve)	2	-	-
Transfer to/ from General Reserve	2	-	-
<b>Balance Being Surplus/(Deficit) Carried To Corpus/Capital Fund/General Reserve</b>		<b>8,256.89</b>	<b>8,946.19</b>
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities And Notes On Accounts	25		

Place : New Delhi  
Date : 27th May, 2024

  
(Rajendra Kumar)  
Director General

  
(T.L. Yaden)  
Financial Commissioner



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 1—समग्र / पूंजी निधि :

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
जोड़ : समग्र / पूंजी निधि के लिए अंशदान	-	-
जोड़ / (कटौती) : निवल आय / (व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से अंतरित	-	-
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### अनुसूची 2—आरक्षित एवं अधिशेष

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
<b>1. पूंजी आरक्षित</b>		
पिछले लेखा के अनुसार	0.03	0.03
वर्ष के दौरान जोड़ (परिसंपत्तियां @ 1/- रु. आदि तुलन पत्र 2012-13 में)	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	(0.00)	0.00
<b>उप-योग (क)</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>2. पुनर्मूल्यन आरक्षित</b>		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. विशेष आरक्षित—आकस्मिकता आरक्षित</b>		
पिछले लेखा के अनुसार	75.00	75.00
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
<b>उप-योग (ग)</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>
<b>4. सामान्य आरक्षित</b>		
पिछले लेखा के अनुसार	96,381.82	87,435.62
वर्ष के दौरान जोड़	8,256.89	8,946.19
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां / अंतरण	-	-
<b>उप-योग (घ)</b>	<b>1,04,638.71</b>	<b>96,381.82</b>
<b>5. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि</b>		
पिछले लेखा के अनुसार	20,947.53	20,947.53
जोड़ : वर्ष के दौरान प्रावधान	183.15	-
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़ / अंतरण	-	-
घटाना : निधि से भुगतान	-	-
<b>उप-योग ङ</b>	<b>21,130.68</b>	<b>20,947.53</b>
<b>कुल (क + ख + ग + घ + ङ)</b>	<b>1,25,844.42</b>	<b>1,17,404.38</b>



## Schedule 1- Corpus/Capital Fund

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	-	-
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
<b>Balance at the year-end</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Schedule 2- Reserves And Surplus

₹ in crore

Particulars		2023-24	2022-23
<b>1.</b>	<b>Capital Reserve:</b>		
	As per last Account	0.03	0.03
	Addition during the year(Assets @ Rs. 1/- in Opening Balance Sheet 2012-13)	-	-
	Less: Deductions during the year	(0.00)	0.00
	<b>Sub-Total (A)</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>2.</b>	<b>Revaluation Reserve</b>		
	As per last Account	-	-
	Addition during the year	-	-
	Less: Deductions during the year	-	-
	<b>Sub-Total (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Special Reserve - Contingency Reserve</b>		
	As per last Account	75.00	75.00
	Addition during the year	-	-
	Less: Deductions during the year		
	<b>Sub-Total (C)</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>
<b>4.</b>	<b>General Reserve</b>		
	As per last Account	96,381.82	87,435.62
	Addition during the year	8,256.89	8,946.19
	Less: Deductions /Transfer during the year		
	<b>Sub-Total (D)</b>	<b>1,04,638.71</b>	<b>96,381.82</b>
<b>5.</b>	<b>Capital Construction Reserve Fund</b>		
	As per last Account	20,947.53	20,947.53
	Add : Provision during the year	183.15	-
	Add : Other Additions/ Transfer during the year	-	-
	Less : Payment from the fund		
	<b>Sub-Total (E)</b>	<b>21,130.68</b>	<b>20,947.53</b>
	<b>Total (A+B+C+D+E)</b>	<b>1,25,844.42</b>	<b>1,17,404.38</b>



सत्यमेव जयते



# वार्षिक लेखे 2023-2024

## अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधियां निधिवार ब्योरा

₹ करोड़ में

शीर्ष	स्थायी निःशक्ता हितलाम आरक्षित निधि	आश्रितजन हितलाम आरक्षित निधि	क. रा. बी. निगम कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि	मूल्यहास आरक्षित कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	मूल्यहास आरक्षित निधि-अस्पताल और औषधालयों (स्टाफ क्वार्टर सहित)	मूल्यहास आरक्षित निधि-अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ	मूल्यहास आरक्षित निधि-चिकित्सा शिक्षा भवन	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-पेशन	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-उपदान	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-छुट्टी नकदीकरण	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-पेंशनर्स चिकित्सा योजना	कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि	कुल चालू वर्ष (2023-2024)	कुल पिछला वर्ष (2022-23)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क) निधियों का आदि शेष	9,459.43	6,639.66	1,135.53	47.06	1,631.86	2,826.08	1,062.73	10,924.78	954.70	1,042.57	179.02	1,227.62	37,131.05	34,235.60
ख) निधियों में जोड़														
1. प्रावधान	1,030.33	994.36	(279.45)	7.39	84.02	375.94	171.00	919.78	94.53	47.36	7.43	135.05	3,587.73	2,194.13
2. निधियों के निवेश से आय	707.71	496.75	84.96	-	109.29	211.43	79.51	817.35	71.43	78.00	13.39	84.17	2,753.99	2,506.95
3. अन्य जोड़	-	-	-	22.93	-	-	-	1.98	-	-	2.37	-	27.28	51.66
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>11,197.47</b>	<b>8,130.77</b>	<b>941.04</b>	<b>77.38</b>	<b>1,825.17</b>	<b>3,413.45</b>	<b>1,313.24</b>	<b>12,663.89</b>	<b>1,120.66</b>	<b>1,167.93</b>	<b>202.21</b>	<b>1,446.85</b>	<b>43,500.05</b>	<b>38,988.34</b>
ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय														
i. पूंजीगत व्यय														
नियत परिसंपत्तियां														
गैर उद्दिष्ट निधि को अंतरण														
ii. राजस्व व्यय														
निधि से बहिर्वाह	374.74	404.29	79.75	24.13	55.08	-	1.85	603.47	56.15	37.44	20.54	198.57	1,856.00	1,857.29
<b>कुल (ग)</b>	<b>374.74</b>	<b>404.29</b>	<b>79.75</b>	<b>24.13</b>	<b>55.08</b>	<b>-</b>	<b>1.85</b>	<b>603.47</b>	<b>56.15</b>	<b>37.44</b>	<b>20.54</b>	<b>198.57</b>	<b>1,856.00</b>	<b>1,857.29</b>
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)	10,822.73	7,726.48	861.29	53.25	1,770.10	3,413.45	1,311.39	12,060.42	1,064.51	1,130.49	181.67	1,248.27	41,644.05	37,131.05

# Annual Accounts 2023-2024



सत्यमेव जयते

## Schedule 3 - Earmarked Funds Fund-Wise Break Up

₹ in crore

Particulars	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Current Year (2023-24)	Total Previous Year (2022-23)
	Permanent Disability Benefit Reserve fund	Dependent's Benefit reserve fund	ESIC COVID-19 Relief Scheme Reserve Fund	Depreciation Reserve Fund - Office Building & Staff Quarters	Depreciation Reserve fund - Hospital & Dispensaries (incl staff quarters)	Depreciation Reserve fund - Other Fixed Assets	Depreciation Reserve fund for Medical Education Building	Employees' Benefit Reserve Fund- Pension	Employees' Benefit Reserve Fund- Gratuity	Employees' Benefit Reserve Fund- Leave Encashment	Employees' Benefit Reserve Fund- Pensioners Medical Scheme	ESI Provident Fund		
a) Opening Balance	9,459.43	6,639.66	1,135.53	47.06	1,631.86	2,826.08	1,062.73	10,924.78	954.70	1,042.57	179.02	1,227.62	37,131.05	34,235.60
b) Additions to the Funds:														
i. Provisions	1,030.33	994.36	(279.45)	7.39	84.02	375.94	171.00	919.78	94.53	47.36	7.43	135.05	3,587.73	2,194.13
ii. Income from investments of fund	707.71	496.75	84.96	-	109.29	211.43	79.51	817.35	71.43	78.00	13.39	84.17	2,753.99	2,506.95
iii. Other additions	-	-	-	22.93	-	-	-	1.98	-	-	2.37	-	27.28	51.66
<b>Total (a+b)</b>	<b>11,197.47</b>	<b>8,130.77</b>	<b>941.04</b>	<b>77.38</b>	<b>1,825.17</b>	<b>3,413.45</b>	<b>1,313.24</b>	<b>12,663.89</b>	<b>1,120.66</b>	<b>1,167.93</b>	<b>202.21</b>	<b>1,446.85</b>	<b>43,500.05</b>	<b>38,988.34</b>
c) Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds														
i. Capital Expenditure														
- Fixed Assets														
- Transfer to Non Earmarked Fund														
ii. Revenue Expenditure														
Outflow from the fund	374.74	404.29	79.75	24.13	55.08	-	1.85	603.47	56.15	37.44	20.54	198.57	1,856.00	1,857.29
<b>Total (c)</b>	<b>374.74</b>	<b>404.29</b>	<b>79.75</b>	<b>24.13</b>	<b>55.08</b>	<b>-</b>	<b>1.85</b>	<b>603.47</b>	<b>56.15</b>	<b>37.44</b>	<b>20.54</b>	<b>198.57</b>	<b>1,856.00</b>	<b>1,857.29</b>
<b>Net Balance as at the Year-end (a+b-c)</b>	<b>10,822.73</b>	<b>7,726.48</b>	<b>861.29</b>	<b>53.25</b>	<b>1,770.10</b>	<b>3,413.45</b>	<b>1,311.39</b>	<b>12,060.42</b>	<b>1,064.51</b>	<b>1,130.49</b>	<b>181.67</b>	<b>1,248.27</b>	<b>41,644.05</b>	<b>37,131.05</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण एवं उधार

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
क) आवधिक ऋण		
ख) प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
4. बैंक:	-	-
क) आवधिक ऋण		
– प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
– प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबैंचर एवं बॉन्ड	-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि



## Schedule 4 – Secured Loans And Borrowings

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:	-	-
a) Term Loans		
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)		
- Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Note: Amounts due within one year



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 5 – प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक:		
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
<b>कुल</b>	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

### अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
क) पूंजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि





## Schedule 5 – Unsecured Loans And Borrowings

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks:		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
<b>Total</b>	-	-

Note: Amounts due within one year

## Schedule 6 – Deferred Credit Liabilities:

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Other	-	-
<b>Total</b>	-	-

Note: Amounts due within one year



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
<b>क. वर्तमान देयताएं</b>	-	-
1. स्वीकृतियां/विविध जमा	75.07	63.48
2. विविध देनदार	-	-
क) माल एवं सेवाओं हेतु	1,362.31	1,036.50
ख) सेवाएं (अति विशिष्टता उपचार)	765.88	617.14
3. प्राप्त पेशगियां	-	-
4. प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं	-	-
क) प्रतिभूत ऋण/उधार	-	-
ख) प्रतिभूति रहित ऋण/उधार	-	-
5. सांविधिक देनदारियां	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)	34.38	33.33
ग) खाते पर देय	2,618.14	2,327.07
6. प्रतिभूति जमा तथा बयाना जमा (ईएमडी)	63.39	58.43
7. नई पेंशन योजना का अंशदान	55.33	48.70
8. क.रा.बी. निगम भविष्य निधि में दावा न की गई जमा राशियां	(0.00)	(0.00)
9. अन्य देयताएं	323.71	293.25
10. सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना (जीएसएलआईएस)	5.12	4.49
<b>कुल (क)</b>	<b>5,303.34</b>	<b>4,482.39</b>
<b>ख. प्रावधान</b>		
1. कराधान हेतु	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटियां/दावे	-	-
6. लेखापरीक्षा शुल्क हेतु	-	-
7. अन्य	-	-
<b>कुल (ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>5,303.34</b>	<b>4,482.39</b>

नोट :

- क्र.सं. क-2 (क) में माल की खरीद हेतु देय राशि शामिल है जिसे स्टॉक में लिया गया है।
- क्र. सं. क-9 में अन्य सभी मौजूदा देनदारियां शामिल हैं जैसे टेलीफोन शुल्क, बिजली, किराया आदि के बकाया भुगतान।



## Schedule 7 – Current Liabilities and Provisions

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
<b>A. Current Liabilities</b>	-	-
1. Acceptances/ Misc. Deposits	75.07	63.48
2. Sundry Creditors:	-	-
a) For Goods & Services	1,362.31	1,036.50
b) Services (SST)	765.88	617.14
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on:	-	-
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:	-	-
a) Overdue	-	-
b) Others-T. D. S.	34.38	33.33
c) On Account Payable	2,618.14	2,327.07
6. Security Deposits & EMD	63.39	58.43
7. Contribution of New Pension Scheme	55.33	48.70
8. Unclaimed Deposit in ESIC P.F.	(0.00)	(0.00)
9. Other liabilities	323.71	293.25
10. Group Saving Linked Insurance Scheme (GSLIS)	5.12	4.49
<b>Total (A)</b>	<b>5,303.34</b>	<b>4,482.39</b>
<b>B. Provisions</b>		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. For Audit fees	-	-
7. Others	-	-
<b>Total (B)</b>	-	-
<b>Total (A+B)</b>	<b>5,303.34</b>	<b>4,482.39</b>

Notes:

1) Sl. No. A - 2 (a) includes amount payable towards purchase of goods which have been taken into stock.

2) Sl. No. A - 9 includes all other current liabilities like outstanding payments towards telephone charges, electricity, rent, Salary, bonus and Cash benefit etc.



सत्यमेव जयते



# वार्षिक लेखे 2023-2024

## अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड
	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/अंतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत/मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में स्थिति	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष की समाप्ति पर कुल	
1. भूमि									
क) पूर्ण स्वामित्वाधीन	225.41	119.72	-	345.13	-	-	-	-	345.13
ख) पट्टाधृति	25.47	0.24	-	25.71	-	-	-	-	25.71
2. भवन :									
क) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर	483.91	12.41	-	496.32	77.95	7.39	-	85.34	410.98
ख) अस्पताल एवं औषधालय	2,619.02	6.14	-	2,625.16	724.51	84.02	-	808.53	1,816.63
ग) चिकित्सा शिक्षा भवन	5,347.52	-	-	5,347.52	920.80	171.00	-	1,091.80	4,255.72
घ) स्वामित्व वाले प्लेट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से स्वामिती (क.रा.बी. निगम हिस्सा)	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09
च) इकाई (सत्ता) से असंबंधित भूमि पर अधिरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	2,514.05	131.22	-	2,645.27	782.31	163.78	-	946.09	1,699.17
4. वाहन	4.15	-	-	4.15	2.31	0.37	-	2.68	1.47
5. फर्नीचर, जुड़नार	1,060.45	11.27	-	1,071.72	789.83	175.12	-	964.95	106.77
6. कार्यालय उपकरण	72.46	8.85	-	81.31	44.42	10.30	-	54.72	26.59
7. कम्प्यूटर/सहायक उपकरण	585.03	29.35	-	614.38	449.51	25.52	-	475.03	139.35
8. बिजली के संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	12.05	1.88	-	13.93	7.97	1.36	-	9.33	4.60
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ-चिकित्सा शिक्षा	0.22	-	-	0.22	0.08	0.00	-	0.08	0.14
एक रुपये की दर से ओ.बी.एस. में परिसंपत्तियाँ	0.04	0.00	-	0.04	-	-	-	-	0.04
<b>मौजूदा वर्ष का कुल (2023-24)</b>	<b>12,949.87</b>	<b>321.08</b>	<b>-</b>	<b>13,270.96</b>	<b>3,799.73</b>	<b>638.86</b>	<b>-</b>	<b>4,438.59</b>	<b>8,832.36</b>
<b>पिछला वर्ष (2022-23)</b>	<b>12,653.93</b>	<b>295.94</b>	<b>-</b>	<b>12,949.87</b>	<b>3,174.99</b>	<b>624.74</b>	<b>-</b>	<b>3,799.73</b>	<b>9,150.14</b>
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	3,941.10	1,050.74	21.02	4,970.83	-	-	-	-	4,970.83
<b>कुल</b>	<b>16,890.97</b>	<b>1,371.82</b>	<b>21.02</b>	<b>18,241.78</b>	<b>3,799.73</b>	<b>638.86</b>	<b>-</b>	<b>4,438.59</b>	<b>13,803.19</b>

₹ 638.86 करोड़ रुपये के कुल मूल्यहास में ₹ 202.24 करोड़ रुपये का मूल्यहास चिकित्सा स्थापनाओं पर अवस्थित स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है, ₹ 386.85 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है तथा ₹ 49.77 करोड़ रुपये प्रशासनिक कार्यालयों में स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है। चिकित्सा स्थापनाओं और चिकित्सा शिक्षा का मूल्यहास अनुसूची 20क तथा 20घ में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रशासनिक कार्यालयों में परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है।

## Schedule 8 - Fixed Assets

₹ in crore

Description	Gross Block				Depreciation				Net Block As at the current year-end
	Cost valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions/Transfer during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	During The year	On Deductions During the year	Total up to year end	
<b>1. Land:</b>									
a) Freehold	225.41	119.72	-	345.13	-	-	-	-	345.13
b) Leasehold	25.47	0.24	-	25.71	-	-	-	-	25.71
<b>2. Buildings:</b>									
a) Office Building & Staff Qtrs.	483.91	12.41	-	496.32	77.95	7.39	-	85.34	410.98
b) Hospitals & Dispensaries	2,619.02	6.14	-	2,625.16	724.51	84.02	-	808.53	1,816.63
c) Medical Education Building	5,347.52	-	-	5,347.52	920.80	171.00	-	1,091.80	4,255.72
d) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Jointly owned with State Gov. (ESIC Share)	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09
f) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plants Machinery & Equipments	2,514.05	131.22	-	2,645.27	782.31	163.78	-	946.09	1,699.17
4. Vehicles	4.15	-	-	4.15	2.31	0.37	-	2.68	1.47
5. Furniture, Fixtures,	1,060.45	11.27	-	1,071.72	789.83	175.12	-	964.95	106.77
6. Office Equipment	72.46	8.85	-	81.31	44.42	10.30	-	54.72	26.59
7. Computer/Peripherals	585.03	29.35	-	614.38	449.51	25.52	-	475.03	139.35
8. Electric Installations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Library Books	12.05	1.88	-	13.93	7.97	1.36	-	9.33	4.60
10. Tubewells & W.Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Other Fixed Assets-Medical Education	0.22	-	-	0.22	0.08	0.00	-	0.08	0.14
Assets in Obs @ Rs.1	0.04	0.00	-	0.04	-	-	-	-	0.04
<b>Total of Current Year (2023 -24)</b>	<b>12,949.87</b>	<b>321.08</b>	<b>-</b>	<b>13,270.96</b>	<b>3,799.73</b>	<b>638.86</b>	<b>-</b>	<b>4,438.59</b>	<b>8,832.36</b>
<b>Previous Year (2022-23)</b>	<b>12,653.93</b>	<b>295.94</b>	<b>-</b>	<b>12,949.87</b>	<b>3,174.99</b>	<b>624.74</b>	<b>-</b>	<b>3,799.73</b>	<b>9,150.14</b>
Capital Work-In Progress	3,941.10	1,050.74	21.02	4,970.83	-	-	-	-	4,970.83
<b>Total</b>	<b>16,890.97</b>	<b>1,371.82</b>	<b>21.02</b>	<b>18,241.78</b>	<b>3,799.73</b>	<b>638.86</b>	<b>-</b>	<b>4,438.59</b>	<b>13,803.19</b>

Out of the total depreciation of Rs 638.86 Crores, depreciation to the tune of Rs. 202.24 Crore pertains to fixed assets located at medical establishments, Rs.386.85 Crores pertains to Medical Education and Rs. 49.77 Crores pertain to fixed assets at Administrative Offices. The depreciation of Medical Establishments and Medical Education has been presented in Schedule 20 A and 20 D and Depreciation on assets at Administrative offices is shown in Income & Expenditure Account.





## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 9 – निवेश उद्दिष्ट निधियों से निवेश

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	22,176.31	19,875.30
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,990.87	1623.34
3 शेयर	-	0.00
4 डिबेंचर एवं बॉन्ड	10,977.22	9742.47
5 समनुषंगी एवं संयुक्त नवोद्यम	-	-
6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास मियादी जमा	12.34	5671.74
7. एस.डी.ए.	6,221.94	
<b>कुल</b>	<b>41,378.68</b>	<b>36,912.85</b>

(संलग्नक-1 के अनुसार ब्योरा)

### अनुसूची 10 – निवेश गैर-उद्दिष्ट-अक्षय निधियां (अन्य)

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	57,435.40	53,351.24
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5,156.25	4,357.53
3 शेयर	-	-
4 डिबेंचर एवं बॉन्ड	28,430.41	26,151.71
5 समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास मियादी-जमा	31.95	15,224.64
7. एस.डी.ए.	16,114.47	
<b>कुल</b>	<b>107,168.47</b>	<b>99,085.12</b>

(संलग्नक-2 के अनुसार ब्योरा)

नोट:

- राज्य प्रतिभूति में राज्य विकास ऋण तथा सरकारी प्रतिभूतियां सम्मिलित है।
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में टीआरडीपीएस (ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली), मार्जिन तथा बचत खाते सम्मिलित
- डिबेंचर एवं बॉन्ड में प्रतिभूति बॉन्ड, सेवा बॉड तथा सार्वजनिक क्षेत्रक बॉन्ड सम्मिलित हैं।



## SCHEDULE 9 – INVESTMENTS FROM EARMARKED FUND

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1. In Government Securities	22,176.31	19,875.30
2. Other approved Securities	1,990.87	1623.34
3. Shares	-	0.00
4. Debentures and Bonds	10,977.22	9742.47
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Fixed Deposits with Scheduled commercial Banks	12.34	5671.74
7. SDA	6,221.94	
<b>Total</b>	<b>41,378.68</b>	<b>36,912.85</b>

(Detail as per Annexure-I)

## Schedule 10 – Investments - Non-Earmarked -Endowment Funds / (Others)

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1. In Government Securities	57,435.40	53,351.24
2. Other approved Securities	5,156.25	4,357.53
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	28,430.41	26,151.71
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Fixed Deposits with Scheduled commercial Banks	31.95	15,224.64
7. SDA	16,114.47	
<b>Total</b>	<b>107,168.47</b>	<b>99,085.12</b>

(Detail as per Annexure-II)

NOTE:

1. Government Securities includes State Development loan and Govt. securities
2. Other approved securities includes TREPS (Tri party repo system), Margin and savings accounts
3. Debentures and Bonds include Guaranteed bonds, service bonds, PSU Bonds.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियां आदि

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
<b>क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ:</b>		
1 वस्तु-सूची		
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	192.69	206.55
ख) फुटकर औजार	-	-
ग) कारोबारी माल	-	-
– तैयार माल	-	-
– चल रहा कार्य	-	-
– कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार		
क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया देनदारियां	-	-
ख) अन्य	-	-
3 नकद राशि (चेक/ड्राफ्ट सहित)	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
4 बैंक में शेष	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
– चालू खातों पर	-	-
– जमा खातों पर (मुनाफा शामिल है)	-	-
– बचत खातों पर	59.00	32.99
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
– चालू खातों पर	-	-
– जमा खातों पर	-	-
– बचत खातों पर	-	-
5 डाकघर-बचत खाता	-	-
6 धन प्रेषण	235.60	405.70
<b>कुल (क)</b>	<b>487.31</b>	<b>645.26</b>

- 1) क्रम संख्या 1 (क) में 31 मार्च तक दवाओं, लैब आइटम, सर्जिकल उपकरण, वर्दी (लिवरियां), लिनेन (गद्दे सहित), बर्तन और कटलरी, एक्स-रे फिल्म और मशीनरी स्पेयर के अलावा अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) का स्टॉक शामिल है।
- 2) क्रम संख्या 1 (ख) में वे वस्तुएं शामिल हैं जो दुकानों में उपलब्ध हैं जो स्पैनर, जिग्स, जैक इत्यादि जैसे उपकरणों की असेंबली के लिए उपयोगी हैं।
- 3) चूंकि लेखन सामग्री मुद्रित प्रपत्र तथा रजिस्टर और गृह प्रबंधन उपभोज्य वस्तुएँ हैं तथा इनके भौतिकता (मैटियरिलिटी) को देखते हुए इन्हें वस्तु सूची में नहीं माना जाता है।





## Schedule 11 – Current Assets, Loans, Advances etc

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
<b>A. Current Assets:</b>		
<b>1. Inventories:</b>		
a) Stores and Spares	192.69	206.55
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade	-	-
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
- Raw Materials	-	-
<b>2. Sundry Debtors:</b>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others	-	-
<b>3. Cash in hand (including cheques/drafts)</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>4. Bank Balances:</b>		
a) With Scheduled Banks:		
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
- On Savings Accounts	59.00	32.99
b) With non-Scheduled Banks:		
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts	-	-
- On Savings Accounts	-	-
<b>5. Post Office- Savings Accounts</b>	-	-
<b>6. Remittances</b>	235.60	405.70
<b>Total (A)</b>	<b>487.31</b>	<b>645.26</b>

- 1) Sl. No.1 (a) includes stock of medicines, lab items, surgical equipments, liveries, linens (including mattresses) , utensils & cutleries, X-ray films & spare parts other than machinery spares as on 31st March
- 2) Sl. No. 1 (b) includes the items that are available in the stores which are useful for assembly of equipments, like spanners, jigs, jacks, etc.
- 3) Stationeries, printed forms and Registers and housekeeping items are not considered as inventories, as they are consumables and considering the materiality.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी)

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
<b>ख. ऋण, पेशगियां एवं अन्य परिसंपत्तियाँ</b>		
<b>1. ऋण:</b>	-	-
क) कर्मचारिवृन्द	-	-
ख) उस इकाई के समान गतिविधियों/लक्ष्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं		-
ग) अन्य-राज्य सरकार को	-	-
<b>2. नकदी में समायोज्य/वसूली योग्य पेशगियाँ तथा अन्य राशियाँ</b>		
क) पूंजीगत लेखा पर	-	-
ख) पूर्व अदायगियां	4.55	4.28
ग) कार्यालय प्रमुखों को स्थायी पेशगी	1.59	1.56
घ) कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन की पेशगियां	(0.07)	(0.07)
ङ) कर्मचारियों को मोटर वाहन पेशगियां	(1.33)	(1.33)
च) गृह निर्माण अग्रिम	3.93	3.14
छ) त्योहार/पंखा/बाढ़ पेशगियां	1.21	1.10
ज) कंप्यूटर पेशगी	2.58	2.62
झ) अन्य विविध पेशगियाँ	1,337.39	1,096.17
ञ) स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत/दैनिक भत्ता अग्रिम	13.47	13.08
<b>उपयोग</b>	<b>1,363.32</b>	<b>1,120.55</b>
<b>3. अस्पताल/औषधालयों/कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव/विशेष मरम्मत हेतु पेशगी</b>		
क) मरम्मत एवं रखरखाव – कार्यालय भवन	38.17	34.36
ख) मरम्मत एवं रखरखाव – अस्पताल एवं औषधालय	234.84	160.56
ग) विशेष मरम्मत – कार्यालय भवन	53.26	47.07
घ) विशेष मरम्मत – अस्पताल एवं औषधालय	212.01	171.04
<b>उप योग</b>	<b>538.29</b>	<b>413.03</b>
<b>4. प्रोद्भूत आय :</b>		
क) निवेश पर	2,796.55	2,611.66
ख) ऋण एवं पेशगियों पर	-	-
ग) अंशदान प्राप्य	740.04	1,261.02
(.....रुपये की अप्राप्य देय आय शामिल है)		
<b>उप योग</b>	<b>3,536.59</b>	<b>3,872.68</b>
<b>5. प्राप्तियोग्य दावे</b>	<b>77.37</b>	<b>77.36</b>
<b>कुल (ख)</b>	<b>5,515.57</b>	<b>5,483.62</b>
<b>कुल(क+ख)</b>	<b>6,002.88</b>	<b>6,128.88</b>



## SCHEDULE 11 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. ( Contd.)

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
<b>B. Loans, Advances And Other Assets</b>		
<b>1. Loans:</b>	-	-
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		-
c) Other -To State Govt.	-	-
<b>2. Advances and other amounts adjustable/recoverable in cash</b>		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	4.55	4.28
c) Permanent advance to Heads of the Office	1.59	1.56
d) Advances of pay on transfer of employees	(0.07)	(0.07)
e) Advances on motor conveyance to employees	(1.33)	(1.33)
f) House Building advance	3.93	3.14
g) Festival / Fan / Flood advances	1.21	1.10
h) Computer advance	2.58	2.62
i) Other Misc. advances	1,337.39	1,096.17
j) Advance of TA/LTC/DA on transfer	13.47	13.08
<b>Sub Total</b>	<b>1,363.32</b>	<b>1,120.55</b>
<b>3. Advance towards Repair &amp; Maintenance / Special Repair of Hospital/ Dispensaries/Office Building :</b>		
a) Repair & Maint-Office Building	38.17	34.36
b) Repair & Maint-Hospital & Disp	234.84	160.56
c) Special Repair-Office Building	53.26	47.07
d) Special Repair-Hospital & Disp.	212.01	171.04
<b>Sub Total</b>	<b>538.29</b>	<b>413.03</b>
<b>4. Income Accrued:</b>		
a) On Investments	2,796.55	2,611.66
b) On Loans and Advances	-	-
c) Contribution Receivables	740.04	1,261.02
(includes income due unrealized-Rs.....)		
<b>Sub Total</b>	<b>3,536.59</b>	<b>3,872.68</b>
<b>5. Claims Receivable</b>	77.37	77.36
<b>Total (B)</b>	<b>5,515.57</b>	<b>5,483.62</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>6,002.88</b>	<b>6,128.88</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 12 – अंशदान/बिक्री/सेवा से आय

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
<b>1. अंशदान से आय</b>		
क) अंशदान	18,282.91	17,369.08
ख) अंशदान पर ब्याज	32.27	33.97
<b>2. सेवाओं से आय</b>	-	-
क) श्रम और प्रक्रमण प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति)	-	-
ङ) अन्य	-	-
च) चिकित्सा सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों से प्राप्त राशि	-	-
<b>कुल</b>	<b>18,315.18</b>	<b>17,403.05</b>

### अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी (प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सहायिकियां)

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1) केन्द्र सरकार	-	-
2) राज्य सरकारें	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय	-	-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	1.50
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>1.50</b>



## Schedule 12 – Income From Contributions/Sales/Service

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
<b>1) Income from Contributions</b>		
a) Contributions	18,282.91	17,369.08
b) Interest on Contributions	32.27	33.97
<b>2) Income from Services</b>	-	-
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional/Consultancy Service	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment/Property)	-	-
e) Others	-	-
f) Amount received from retired IPs towards medical services	-	-
<b>Total</b>	<b>18,315.18</b>	<b>17,403.05</b>

## Schedule 13 – Grants/Subsidies (Irrevocable Grants & Subsidies Received)

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1) Central Government	-	-
2) State Government(s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions/Welfare Bodies	-	-
5) International Organisations	-	-
6) Others (Specify)	-	1.50
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1.50</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1) प्रवेश / दाखिला शुल्क	52.40	47.60
2) वार्षिक शुल्क / अभिदान	-	-
3) संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्श शुल्क	-	-
5) अन्य	13.27	8.98
<b>कुल</b>	<b>65.67</b>	<b>56.58</b>

टिप्पणी: अनुसूची 14, (5-अन्य) में छात्रावास शुल्क, प्रशिक्षण प्राप्तियां, अपशिष्ट सामग्री की बिक्री, छात्रों से प्राप्त बॉण्ड राशि आदि जैसी चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां शामिल हैं।

### अनुसूची 15 – निवेश से आय

(निधियों में अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)

₹ करोड़ में

विवरण	उद्दिष्ट निधि से निवेश*		निवेश-गैर-उद्दिष्ट निधियां**	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1). ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	1511.85	1,368.57	4073.78	3,677.08
ख) अन्य बांड पत्र / डिबेंचर	724.18	660.18	1951.35	1,773.78
ग) अन्य प्रतिभूतियाँ	116.21	91.96	313.14	247.09
घ) बैंक मियादी जमा	0.95	386.24	2.56	1,037.76
ड) एस.डी.ए.	400.79		1079.96	
<b>कुल</b>	<b>2,753.99</b>	<b>2,506.96</b>	<b>7,420.80</b>	<b>6,735.71</b>
2) लाभांश				
क) शेयर पर	-	-	-	-
ख) म्युच्युअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3) अन्य	-	-	-	-
<b>सकल योग</b>	<b>2,753.99</b>	<b>2,506.95</b>	<b>7,420.80</b>	<b>6,735.71</b>
<b>उद्दिष्ट निधियों को अंतरण</b>	<b>2,753.99</b>	<b>2,506.95</b>		

\* संलग्नक – I के अनुसार ब्योरा

\*\* संलग्नक – II के अनुसार ब्योरा



## Schedule 14 – Fees/Subscriptions

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1) Entrance / Admission Fees	52.40	47.60
2) Annual Fees/Subscriptions	-	-
3) Seminar/Program Fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others	13.27	8.98
<b>Total</b>	<b>65.67</b>	<b>56.58</b>

Note : Schedule 14, (5-others) includes medical education receipts like Hostel fees, training receipts, sale of waste material, bond amount received from students etc.

## Schedule 15 – Income from Investments

(Income on Investment from Earmarked Funds transferred to Funds)

₹ in crore

Particulars	Investment from Earmark Fund*		Investment- Non Earmarked Funds**	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1) Interest				
a) On Govt. Securities	1511.85	1,368.57	4073.78	3,677.08
b) Other Bonds/Debentures	724.18	660.18	1951.35	1,773.78
c) Others securities	116.21	91.96	313.14	247.09
d) Bank Fixed Deposits	0.95	386.24	2.56	1,037.76
e) SDA	400.79		1079.96	
<b>Total</b>	<b>2,753.99</b>	<b>2,506.96</b>	<b>7,420.80</b>	<b>6,735.71</b>
2) Dividends:				
a) On Shares	-	-	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3) Others	-	-	-	-
<b>Grand Total</b>	<b>2,753.99</b>	<b>2,506.95</b>	<b>7,420.80</b>	<b>6,735.71</b>
<b>Transferred To Earmarked Funds</b>	<b>2,753.99</b>	<b>2,506.95</b>		

\* Details as per Annexure - I

\*\* Details as per Annexure - II



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य	-	-
<b>कुल</b>		

### अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1) सावधिक जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2) बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	12.06	9.22
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण/अग्रिम :		
क) कर्मचारी/स्टाफ	0.10	0.15
ख) अन्य	-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
<b>कुल</b>	<b>12.16</b>	<b>9.37</b>





## Schedule 16 – Income from Royalty, Publication etc.

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1) Income from Royalty	-	-
2) Income from Publications	-	-
3) Others	-	-
<b>Total</b>		

## Schedule 17 – Interest Earned

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	-	-
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	12.06	9.22
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3) On Loans / advances:		
a) Employees/Staff	0.10	0.15
b) Others	-	-
4) Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
<b>Total</b>	<b>12.16</b>	<b>9.37</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 18 – अन्य आय

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1) परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
क) मालिकाना परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से अभिगृहीत या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2) राज्य सरकार से निर्यात प्रोत्साहन वसूली / प्रतिपूर्ति	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां)	-	-
4) विविध आय	310.29	413.67
5) किराया, दर और कर	74.09	7.99
6) शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां, हर्जाना	53.82	55.48
7) राज्य सरकार / दिल्ली प्रशासन का हिस्सा	-	-
8) असंगठित क्षेत्र से अंशदान	0.00	-
<b>कुल</b>	<b>438.20</b>	<b>477.14</b>

### अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
क) शेष स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– चल रहा कार्य (प्रगतिधीन कार्य)	-	-
ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– चल रहा कार्य	-	-
<b>निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख)</b>		

नोट: अनुसूची 18, बिंदु 4 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि के तहत बुक किए गए बीमांकिक लाभ के रूप में 279.45 करोड़ रुपये शामिल हैं, इसके अलावा विविध आय की अन्य मदों जैसे छुट्टी वेतन और पेंशन आय की वसूली, डुप्लिकेट पहचान पत्र जारी करना इत्यादि शामिल हैं।



## Schedule 18 – Other Income

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1) Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2) Export Incentives realized/Compensation from State Govt.	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services(Medical Education Receipts)	-	-
4) Miscellaneous Income	310.29	413.67
5) Rent, Rates and Taxes	74.09	7.99
6) Fee, Fine & Forfeitures,Damages	53.82	55.48
7) State Govts./Delhi Admn's share	-	-
8) Contribution from Unorganized Sector	0.00	-
<b>Total</b>	<b>438.20</b>	<b>477.14</b>

## Schedule 19 – Increase/(Decrease) In Stock of Finished Goods & Work In Progress

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
a) Closing stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
<b>Net Increase/(Decrease) [A-B]</b>		

Note: Schedule 18, point 4) includes Rs. 279.45 crore as actuarial gain booked under ESIC COVID-19 Relief scheme reserve fund apart from other items of Misc income like recovery of leave salary and pension income, issue of duplicate identity card etc.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 20 – बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय

₹ करोड़ में

अनुसूची – 20-क चिकित्सा हितलाभ	2023-24	2022-23
1) क.रा.बी.निगम के हिस्से के खर्च के रूप में राज्य सरकार/सोसायटी को भुगतान	4,705.74	3,935.49
2) निम्नलिखित प्रदान करने पर प्रत्यक्ष खर्च की गई राशि :-		
(क) क.रा.बी. निगम द्वारा अपने अस्पतालों/औषधालयों/व्यवसायजन्य रोग केन्द्रों में चिकित्सा देखरेख और मातृत्व सुविधाएं		
(i) वेतन एवं भत्तों पर	3,137.83	2,538.73
(ii) अन्य प्रशासनिक व्यय पर	668.36	536.07
(iii) औषधियों एवं मरहमपट्टी पर	1,164.59	1,098.18
(iv) अपशेष प्रबंधन	6.70	5.69
<b>उप कुल (क)</b>	<b>4,977.48</b>	<b>4,178.67</b>
(ख) बीमाकृत महिला एवं बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को प्रसवावस्था खर्च	5.09	5.85
(ग) अति विशिष्टता उपचार (टाई अप)	1,574.09	2,036.78
(घ) द्वितीयक देखरेख (टाई अप)	136.06	242.88
(ङ) नियोक्ता उपयोग औषधालय	1.35	1.94
3) मूल्यहास (अस्पताल एवं औषधालय पर)	202.24	184.77
4) मरम्मत एवं रखरखाव-अस्पताल तथा औषधालय भवन	260.14	205.42
5) अस्पताल तथा औषधालय के लिए दर और कर	36.53	34.26
<b>कुल (क)</b>	<b>11,898.74</b>	<b>10,826.06</b>



## Schedule 20 – Expenditure On Benefits To Insured Persons

₹ in crore

Schedule 20- A Medical Benefits	2023-24	2022-23
1) Payments to State Governments/Society as ESIC's share of expenditure	4,705.74	3,935.49
2) Expenditure incurred directly on providing:		
(a) Medical care & maternity facilities by ESIC in own Hospitals, Dispensaries/ODC:		
(i) On Pay & Allowances	3,137.83	2,538.73
(ii) On Other Administrative expenditure	668.36	536.07
(iii) On Drugs & Dressings	1,164.59	1,098.18
(iv) On Waste Management	6.70	5.69
<b>Sub-Total (a)</b>	<b>4,977.48</b>	<b>4,178.67</b>
(b) Confinement expenses to insured women & wives of IP	5.09	5.85
(c) Super Specialities Treatment (Tie up)	1,574.09	2,036.78
(d) Secondary Care (Tie up)	136.06	242.88
(e) Employer Utility Dispensary	1.35	1.94
3) Depreciation (Hospital & Dispensaries)	202.24	184.77
4) Repairs & Maintenance - Hospital & Dispensary Buildings	260.14	205.42
5) Rates & Taxes for Hospital & Dispensaries	36.53	34.26
<b>Total (A)</b>	<b>11,898.74</b>	<b>10,826.06</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 20 ख - नकद हितलाभ

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1) बीमारी हितलाभ	432.18	425.36
2) वर्धित बीमारी हितलाभ	0.10	0.95
3) विस्तारित बीमारी हितलाभ	64.98	64.46
4) प्रसूति हितलाभ	428.98	417.98
5) निःशक्तता हितलाभ		
क) अस्थायी	96.04	111.55
ख) स्थायी (पूँजीकृत मूल्य)	1,030.33	648.55
6) आश्रितजन हितलाभ (पूँजीकृत मूल्य)	994.36	315.95
7) बीमाकृत व्यक्ति को कोविड राहत	-	767.57
8) अंत्येष्टि खर्च	28.52	30.95
9) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (बेरोजगारी भत्ता)	6.71	15.33
10) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	0.62	6.03
<b>कुल (ख)</b>	<b>3,082.83</b>	<b>2,804.68</b>

### अनुसूची 20 ग - अन्य हितलाभ

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1) चिकित्सा बोर्ड और अपीलीय अधिकरण	0.41	0.45
2) बीमाकृत व्यक्ति को सवारी खर्च के लिए भुगतान	1.14	1.38
3) मजदूरी की हानि	0.17	0.14
4) विविध	0.86	0.55
<b>कुल (ग)</b>	<b>2.58</b>	<b>2.52</b>



## Schedule 20 B – Cash Benefits

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1) Sickness Benefit	432.18	425.36
2) Enhanced Sickness Benefit	0.10	0.95
3) Extended Sickness Benefit	64.98	64.46
4) Maternity Benefit	428.98	417.98
5) Disablement Benefit:		
a) Temporary	96.04	111.55
b) Permanent (capitalised value)	1,030.33	648.55
6) Dependent's Benefit (capitalised value)	994.36	315.95
7) COVID Benefit to IP	-	767.57
8) Funeral Expenses	28.52	30.95
9) Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna (Unemployment Allowance)	6.71	15.33
10) Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	0.62	6.03
<b>Total (B)</b>	<b>3,082.83</b>	<b>2,804.68</b>

## Schedule 20 C – Other Benefits

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1) Medical Board and Appeal Tribunals	0.41	0.45
2) Payment to Insured persons towards conveyance charges	1.14	1.38
3) Loss of wages	0.17	0.14
4) Miscellaneous	0.86	0.55
<b>Total (C)</b>	<b>2.58</b>	<b>2.52</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 20 घ – चिकित्सा शिक्षा

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
1) वेतन एवं भत्ते	386.86	333.35
2) अन्य प्रशासनिक खर्च	42.55	34.90
3) मूल्यहास – चिकित्सा शिक्षा	386.85	384.40
4) मरम्मत एवं रखरखाव – चिकित्सा शिक्षा भवन	24.90	21.63
<b>कुल (घ)</b>	<b>841.16</b>	<b>774.28</b>
<b>कुल (क+ख+ग+घ)</b>	<b>15,825.32</b>	<b>14,407.54</b>

टिप्पणी: अनुसूची 20 क (2 – (क) – (ii) और अनुसूची 20-घ (2) 'अन्य प्रशासनिक व्यय' में भवन, पानी, बिजली इत्यादि जैसी आकस्मिकताओं को छोड़कर परिसंपत्तियों पर मरम्मत, रखरखाव और भाड़ा शामिल हैं।





## Schedule 20 D – Medical Education

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
1) Pay & Allowances	386.86	333.35
2) Other Administrative Expenses	42.55	34.90
3) Depreciation -Medical Education	386.85	384.40
4) Repairs & Maintenance - Medical Education Buildings	24.90	21.63
<b>Total (D)</b>	<b>841.16</b>	<b>774.28</b>
<b>Total (A+B+C+D)</b>	<b>15,825.32</b>	<b>14,407.54</b>

Note: Schedule 20 A (2-(a)-(ii) and schedule 20-D (2) "other administrative expenditure" includes repair, maintenance and hire charges on assets excluding building, contingencies like water, electricity etc.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 21 – स्थापना खर्च

₹ करोड़ में

अनुसूची 21क – स्थापना खर्च – अधीक्षण	2023-24	2022-23
क) वेतन और मजदूरी	370.50	348.94
ख) भत्ते	321.84	267.98
ग) बोनस	8.51	7.67
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	-	-
ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी. निगम का अंश	-	-
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	2.48	1.34
छ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
<b>उप-योग (क)</b>	<b>703.33</b>	<b>625.93</b>

### अनुसूची 21ख – स्थापना खर्च – क्षेत्र कार्य

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
क) वेतन और मजदूरी	132.02	120.89
ख) भत्ते	103.65	83.73
ग) बोनस	3.44	3.65
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	-	-
ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी. निगम का अंश	-	-
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	0.06	0.09
छ) कर्मचारी हतलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>239.17</b>	<b>208.36</b>



## Schedule 21 – Establishment Expenses

₹ in crore

Schedule 21A – Establishment Expenses - Superintendents	2023-24	2022-23
a) Salaries and Wages	370.50	348.94
b) Allowances	321.84	267.98
c) Bonus	8.51	7.67
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	2.48	1.34
g) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
<b>Sub-Total (A)</b>	<b>703.33</b>	<b>625.93</b>

## Schedule 21 B – Establishment Expenses - Field Work

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
a) Salaries and Wages	132.02	120.89
b) Allowances	103.65	83.73
c) Bonus	3.44	3.65
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	0.06	0.09
g) Expenses on Employees Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
<b>Sub-Total (B)</b>	<b>239.17</b>	<b>208.36</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 21 – स्थापना खर्च

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
क) वेतन और मजदूरी	502.52	469.83
ख) भत्ते	425.49	351.71
ग) बोनस	11.95	11.32
घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	2.55	1.43
<b>अधीक्षक और क्षेत्र कार्य – उप-योग (क+ख)</b>	<b>942.50</b>	<b>834.29</b>
ड) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	-	-
च) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	0.29	-
छ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ज) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	0.09	0.11
झ) प्रावधान :-		
i) पेंशन	559.38	-
ii) उपदान	32.78	17.69
iii) छुट्टी नकदीकरण	15.81	21.90
iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	7.43	-
ञ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	75.76	61.66
ट) सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना का क.रा.बी. निगम का अंश	0.05	0.09
<b>कुल</b>	<b>1,634.10</b>	<b>935.74</b>



## Schedule 21 – Establishment Expenses

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
a) Salaries and Wages	502.52	469.83
b) Allowances	425.49	351.71
c) Bonus	11.95	11.32
d) Staff Welfare Expenses	2.55	1.43
<b>Superintendents and field work - Sub Total (A+B)</b>	<b>942.50</b>	<b>834.29</b>
e) Expenses on Employees Benefits	-	-
f) Leave salary & Pension contribution	0.29	-
g) Compassionate grants	-	-
h) PF Deposit Linked Insurance Scheme	0.09	0.11
i) Provision for :-		
i) Pension	559.38	-
ii) Gratuity	32.78	17.69
iii) Leave Encashment	15.81	21.90
iv) Pensioners Medical Scheme	7.43	-
j) ESIC share of New Pension Scheme	75.76	61.66
k) ESIC share of GSLIS	0.05	0.09
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>1,634.10</b>	<b>935.74</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 22 - अन्य प्रशासनिक खर्च

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
(i) विद्युत और शक्ति	24.44	21.02
(ii) जल प्रभार	1.93	1.58
(iii) बीमा	0.52	0.76
(iv) किराया, पौरकर और कर	42.32	40.30
(v) वाहन चालन और मरम्मत (भाड़ा प्रभार सहित)	5.50	4.40
(vi) डाकखर्च, टेलीफोन और संचार प्रभार	13.93	11.72
(vii) छपाई और लेखन सामग्री	5.10	5.15
(viii) यात्रा और सवारी खर्च	17.98	13.47
(xi) अभिदान खर्च-आवधिक	0.23	0.33
(x) बाह्य लेखापरीक्षा शुल्क	0.02	0.08
(xi) आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
(xii) परामर्श सेवा व्यय	1.58	0.14
(xiii) निवेश प्रबंधन प्रभार	2.77	2.52
(xiv) विधिक प्रभार	5.31	3.63
(xv) बीमा न्यायालय	0.12	2.14
(xvi) अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ईसा) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	1.05	0.92
(xvii) रखरखाव खर्च	29.72	29.52
(xviii) बैंक खाता बनाए रखने के प्रभार एवं अन्य बैंक प्रभार	7.55	8.92
(xix) हानियाँ	0.01	-
(xx) मरम्मत और रखरखाव - ईआरपी प्रचालन खर्च तथा अन्य मरम्मत	94.91	52.27
(xxi) भर्ती खर्च	6.17	26.09
(xxii) राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	0.60	0.55
(xxiii) विज्ञापन और प्रचार	12.36	20.00
(xxiv) पहरा व निगरानी	47.34	44.62
(xxv) प्रशिक्षण	3.58	0.88
(xxvi) विविध	15.45	21.39
(xxvii) स्वच्छता कार्य योजना व्यय	0.37	0.20
(xxviii) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत व रखरखाव	29.44	24.95
<b>कुल</b>	<b>370.32</b>	<b>337.55</b>

टिप्पणी: (xix) हानियों में वर्ष के दौरान लेखा इकाई द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री पर हुई हानि शामिल है।

(xxvi) विविध में समाचारपत्र, पत्रिकाएं और प्रकाशन, गर्म और ठंडे मौसम का शुल्क, निगम की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन के लिए प्रभार और अन्य विविध इत्यादि शामिल हैं।



## Schedule 22 – Other Administrative Expenses

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
(i) Electricity and power	24.44	21.02
(ii) Water charges	1.93	1.58
(iii) Insurance	0.52	0.76
(iv) Rent, Rates and Taxes	42.32	40.30
(v) Vehicles Running and Maintenance(Including Hire Charges)	5.50	4.40
(vi) Postage, Telephone and Communication Charges	13.93	11.72
(vii) Printing and Stationary	5.10	5.15
(viii) Travelling and Conveyance Expenses	17.98	13.47
(ix) Subscription Expenses - periodicals	0.23	0.33
(x) External Audit Fees	0.02	0.08
(xi) Internal Audit Fees	-	-
(xii) Consultancy Services Expenditure	1.58	0.14
(xiii) Investment Management Charges	2.77	2.52
(xiv) Legal Charges	5.31	3.63
(xv) Insurance Courts	0.12	2.14
(xvi) Contribution to ISSA & other international organisations	1.05	0.92
(xvii) House keeping expenses	29.72	29.52
(xviii) Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	7.55	8.92
(xix) Losses	0.01	-
(xx) Repairs and Maintenance -ERP Operating Expenses & Others repairs	94.91	52.27
(xxi) Recruitment expenses	6.17	26.09
(xxii) Revenue recovery Cell	0.60	0.55
(xxiii) Advertisement and Publicity	12.36	20.00
(xxiv) Watch & Ward	47.34	44.62
(xxv) Training	3.58	0.88
(xxvi) Miscellaneous	15.45	21.39
(xxvii) Swachhata action plan expenditure	0.37	0.20
(xxviii) Repair & Maint. of office Building & Staff Quarters	29.44	24.95
<b>Total</b>	<b>370.32</b>	<b>337.55</b>

Note: (xix) Losses includes loss on sale of assets by accounting unit during the year.

(xxvi) Miscellaneous includes newspapers, periodicals and publications, hot and cold weather charges, charges for valuation of assets and liabilities of corporation and other misc etc.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 23 – अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां	-	-
कुल	-	-

### अनुसूची 23क – ब्याज

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
क) नियत ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य (यदि हो तो उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-





## Schedule 23 – Expenditure On Grants, Subsidies Etc.

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
a) Grants given to Institutions/Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Schedule 23A – Interest

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (including Bank Charges)	-	-
c) Others (specify)	-	-
<b>Total</b>		



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1	वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत लेखाकरण के सामान्य फार्मेट की संगत प्रस्तुतियोग्य अनिवार्यताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत अन्यथा वर्णित हो।
2	<b>स्थायी परिसंपत्ति:</b> स्थायी परिसंपत्तियाँ सकल मूल्य की ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं।
3	<b>मूल्यह्रास:</b> (क) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास क.रा.बी. निगम की आशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन मैथड) पर प्रदान किया जाता है। पूंजीकरण वर्ष में 5,000/- तक की लागत वाली सभी परिसंपत्तियों का पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है। चालू वर्ष 2023-2024 के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्ति के लिए यह मानते हुए कि अवशिष्ट मूल्य शून्य है, आनुपातिक मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।
4	<b>वस्तु सूची:</b> निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में वस्तु-सूची, भंडार और अतिरिक्त माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। ये लागतें प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम आधार पर होती हैं। क.रा.बी. निगम लेखाकरण नीति के अनुसार वस्तु-सूची में केवल दवाओं, प्रयोगशाला वस्तुएं जैसे किटें, केमिकल आदि, शल्य चिकित्सा उपस्कर, गद्दे सहित चादर, वर्दी, एक्स-रे फिल्में तथा केमिकल एवं कटलरीज तथा बर्तन शामिल हैं। लेखन सामग्री वस्तुएं केवल राजस्व खर्च के लिए प्रभार्य हैं।
5	<b>राजस्व:</b> राजस्व का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। तथापि, नियोक्ता को जारी किए गए मांग/वसूली नोटिस के माध्यम से की गई किसी वसूली के मामले में, राजस्व का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखा-जोखा नकद आधार पर रखा जाता है।
6	<b>निवेश:</b> दीर्घ अवधि के रूप में वर्गीकृत निवेश तथा चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। सभी निवेश अनुमोदित निवेश नीति में यथानिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋण, सरकारी गारंटी बॉण्ड, सरकार सेवित बॉण्ड, एएए, सीपीएसयू बॉण्ड, मियादी जमा तथा अन्य प्रतिभूतियों के रूप में संविभाग प्रबंधकों के माध्यम से किए जाते हैं।
7	<b>कर्मचारी हितलाभ:</b> पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के लिए पृथक निधि रखी गई है। ऐसी मदों पर निगम की देयता का लेखाकरण मानक 15 के अनुसार वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर हिसाब किया जाता है। बीमांकन मूल्यांकन के कारण निधि में जोड़ या घटा का, जोड़ या घटा के वर्ष में निगम के व्यय या आय के रूप में, यथास्थिति, हिसाब रखा जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हिसाब उसी वर्ष में व्यय के रूप में किया जाता है।
8	<b>पूंजीगत निर्माण आरक्षित:</b> पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि अस्पतालों, औषधालयों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण के लिए है। पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) को अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 1 द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित क.रा.बी.निगम की 161वीं बैठक में 'गैर-उद्दिष्ट निधि' के रूप में घोषित किया गया। फरवरी, 2019 में आयोजित, क.रा.बी.निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सी.सी.आर.एफ. के लिए प्रावधान 5 वर्ष के लिए नहीं बनाए जाने हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) को लेखाकरण नीति के अनुसार अंशदान आय के एक प्रतिशत पर 5 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद फिर से शुरू किया गया है।



## SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

1	The Financial Statement are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting recommended by C & AG of India.
2	Fixed Assets: Fixed assets are stated at historical cost at gross value.
3	Depreciation : (a) Depreciation on Fixed Assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in Companies Act, 2013 as per revised accounting policy of ESIC. All assets costing up to Rs. 5,000 are fully depreciated in the year of capitalization. Proportionate depreciation is provided for assets capitalised during the current year 2023-24 assuming residual value to be NIL.
4	Inventory : Inventory, store and spares in Hospitals managed by Corporation are valued at cost. The costs are based on first in first out basis. As per accounting Policy of ESIC inventory comprises of Medicines, Lab Items viz. kits, chemicals etc., Surgical Equipment's, Linen including Mattress, Liveries, X-ray Films and chemicals & Cutleries and Utensils only. Stationery items are charged to revenue expenditure only.
5	Revenue : Revenue is accounted on accrual basis. However in case of any recovery through demand/recovery notice issued to employer, which can be disputed in court of law, the revenue is recorded on cash basis. Further, Interest on advance to employees is accounted for on cash basis.
6	Investment : Investment classified as long-term and current investments are carried at cost. All investments are made as per approved investment policy through portfolio managers in the form of Government Securities, State Development Loans, Government Guaranteed Bonds, Government serviced bonds, AAA CPSU Bonds, Fixed Deposits and other securities as specified in approved Investment policy.
7	Employees Benefits : Separate fund for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners' Medical Scheme has been set up. The liability of Corporation on the account of such items is accounted for on actuarial basis at the year end as per accounting standard 15. The addition or deletion to fund on account of actuarial valuation is accounted as expenditure or income, as the case may be, of the Corporation in the year of addition or deletion. Encashment of Earned Leave by employees during the year is accounted as expenses in the same year.
8	Capital Construction Reserve : Capital Construction Reserve Fund is for construction of hospitals, dispensaries, Office buildings, staff quarters, etc. Capital Construction Reserve Fund (CCRF) has been declared as Non-Earmarked fund in 161st meeting of ESI Corporation held on 14th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 1. As per decision taken in 177th meeting of ESI Corporation held in February, 2019 , provision for CCRF is not to be made for 5 years. During the year 2023-24, CCRF is resumed after a moratorium of 5 years at one percent of contribution income as per accounting policy.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

क्र.सं	1. लेखाओं पर टिप्पणी
1.01	वर्ष 2023–2024 के लिए क.रा.बी. निगम के लेखाओं को, लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर तैयार कर, वित्त मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य फॉर्मेट में, भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत एवं क.रा.बी. निगम द्वारा यथा अंगीकृत कर तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
1.02	वित्तीय विवरण, लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तुलना की सुविधा हेतु, जहां भी आवश्यकता हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन किया जाता है।
1.03	अनुसूची-26 के अंतर्गत दर्शाई गई पूर्व अवधि आय/व्यय का लेखाकरण मानक-5 (एएस-5) के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाकरण किया गया है।
1.04	वस्तु (संपत्ति) सूची के शेष माल पर एफ.आइ.एफ.ओ. पद्धति से मूल्यांकन किया जाता है।
1.05	नियत परिसंपत्ति आंतरिक मालभाड़ा, शुल्क और कर तथा आकस्मिक व्ययों के सम्मिलित उपार्जन के लागत पर निश्चित की जाती है।
1.06	कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज नकद आधार पर मान्य किए जाते हैं।
1.07	वर्ष 2022–23 तक क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे तौर पर संचालित चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान हेतु दिल्ली सरकार से वसूली योग्य कुल राशि ₹ 3483.89 करोड़ है। दिल्ली सरकार अपने पत्र संख्या एफ-17(3)(1)/डीएचएस/जीआइए/2013/क.रा.बी.नि./52324, दिनांक 26.09.2014 द्वारा खर्च के 1/8 शेयर का भुगतान करने हेतु सहमत हुई थी परंतु दिनांक 31.03.2024 तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले को दिल्ली सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है लेकिन मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। यह मामला लोक लेखा समिति (पीएसी) में उठाया गया था और समिति ने अपनी 115वीं रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की है कि मंत्रालय लंबे समय से लंबित मामले को हल करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 58(4) के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। तदनुसार, माननीय श्रम मंत्री, भारत सरकार ने मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(4) के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मध्यस्थता याचिका दायर करने का कार्य विधि शाखा द्वारा विद्वान काउंसिल के साथ किया जा रहा है। दिल्ली सरकार से हुई प्राप्ति को प्राप्ति के वर्ष में लेखाबद्ध किया जाएगा।
	<b>आरक्षित निधि</b>
1.08	किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिकता आरक्षित निधि (पूर्व में आपात आरक्षित निधि के रूप में ज्ञात) का सृजन किया गया है। दिनांक 27/28 नवम्बर, 1986 की स्थायी समिति और निगम की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस निधि में शेष केवल ₹ 75.00 करोड़ तक सीमित किया गया। चूंकि इस निधि में शेष ₹ 75.00 करोड़ था, अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है।



## SCHEDULE 25 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

SI No	1. NOTES ON ACCOUNTS
1.01	The accounts of ESI Corporation for the year 2023-24 are prepared on accrual basis of accounting in the common format for Autonomous Bodies prescribed by Ministry of Finance, recommended by C &AG of India and as adopted by ESI Corporation and approved by Ministry of Labour and Employment, Government of India.
1.02	The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, as per the accrual method of accounting. The previous year figures are regrouped, wherever required, for convenience of comparisons.
1.03	Prior period income/ expenditure shown under Schedule- 26 is accounted for as per guideline of Accounting Standards -5 (AS-5).
1.04	Inventory has been valued on FIFO method on closing stock.
1.05	Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and Incidental expenses.
1.06	Interest on loan & Advances to employees is recognised on cash basis.
1.07	The total amount recoverable from Delhi Government for the provision of medical services directly operated by ESIC till the year 2022-23 is ₹ 3483.89Crores. Delhi Government vide its letter no. F.17(3)(1)/DHS/GIA/2013/ESIC/52324 dated 26.09.2014 agreed to pay 1/8th of the expenditure but the same has not been received till 31.03.2024. The matter has been taken up with the Delhi Government at various levels but the matter is yet to be resolved. The matter was raised in Public Accounts Committee (PAC) and Committee in its 115th report opined that the Ministry may take action as per Section 58(4) of the ESI Act, 1948 to appoint an Arbitrator to resolve the long pending issue. Accordingly, the Hon'ble Labour Minister, Government of India has approved the proposal for appointment of an Arbitrator. The filing of arbitration petition in the Supreme Court of India under Section 58(4) of the ESIC Act is being carried out by the Legal Branch along with learned counsel. Receipt from Delhi Government will be accounted for in the year of receipt.
	<b>Reserve Funds :-</b>
1.08	Contingency Reserve Fund (earlier known as Emergency Reserve Fund) has been created to meet any emergency situation. In pursuance of the decision of the Standing Committee and the Corporation taken in their meeting on 27/28th November, 1986, the balance in this fund is limited to ₹ 75.00 crores only. As the balance in this fund was ₹ 75.00 crores, no provision has been made.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

1.09	वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) (पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना), के लिए प्रावधान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 37 के उपबंध तथा लेखाकरण मानक 15-कर्मचारी हितलाभ के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान स्थायी निःशक्तता हितलाभ निधि (पीडीबीएफ), आश्रितजन हितलाभ निधि (डीबीएफ) तथा क.रा.बी.नि.कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि के लिए प्रावधान भी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। दिनांक 31.03.2024 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - क.रा.बी.नि.कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि के अनुसार ₹ 279.45 करोड़ की आधिक्य राशि दर्शा रही हैं जिन्हें प्रोद्भवन लाभ के रूप में खातों में लिया गया है तथा उन्हें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के पैरा 7 के संबंध में विविध आय के रूप में दर्ज किया गया है।																													
1.10	<p>कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) - पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना हेतु प्रावधान नीचे दिए गए विवरण अनुसार बीमांकिक आधार पर दर्ज किया गया है -</p> <table border="1" data-bbox="289 821 1453 1258"> <thead> <tr> <th rowspan="2">अनुसूची</th> <th colspan="4">कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ)</th> </tr> <tr> <th>पेंशन</th> <th>उपदान</th> <th>छुट्टी नकदीकरण</th> <th>पीएमएस</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अनुसूची 20-क चिकित्सा हितलाभ *</td> <td>355.36</td> <td>58.78</td> <td>29.84</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>अनुसूची 20-घ चिकित्सा शिक्षा *</td> <td>5.04</td> <td>2.97</td> <td>1.70</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>अनुसूची 21 स्थापना खर्च</td> <td>559.38</td> <td>32.78</td> <td>15.81</td> <td>7.43</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>919.78</td> <td>94.53</td> <td>47.36</td> <td>7.43</td> </tr> </tbody> </table> <p>* चिकित्सा हितलाभ और चिकित्सा शिक्षा से संबंधित कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) के आंकड़े क्रमशः अनुसूची-20क और 20घ के 'वेतन और भत्ते' के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं।</p>	अनुसूची	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ)				पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीएमएस	अनुसूची 20-क चिकित्सा हितलाभ *	355.36	58.78	29.84	-	अनुसूची 20-घ चिकित्सा शिक्षा *	5.04	2.97	1.70	-	अनुसूची 21 स्थापना खर्च	559.38	32.78	15.81	7.43	कुल	919.78	94.53	47.36	7.43
अनुसूची	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ)																													
	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीएमएस																										
अनुसूची 20-क चिकित्सा हितलाभ *	355.36	58.78	29.84	-																										
अनुसूची 20-घ चिकित्सा शिक्षा *	5.04	2.97	1.70	-																										
अनुसूची 21 स्थापना खर्च	559.38	32.78	15.81	7.43																										
कुल	919.78	94.53	47.36	7.43																										
	<b>निवेश</b>																													
1.11	<p>उद्दिष्ट आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज को अनुसूची 15 के अंतर्गत संबंधित आरक्षित निधि में जमा किया गया है तथा गैर उद्दिष्ट निधि पर ब्याज को आय एवं व्यय लेखा में निगम की आय के रूप में लिया गया है। क.रा.बी. निगम ने भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) के माध्यम से विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) में भी निवेश किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) ने दिनांक 12 अप्रैल 2024 के उनके पत्र संख्या फा.सं.-पी.ए.ओ./पत्राचार/क.रा.बी.नि./एम.एस./2023-24/79 द्वारा दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार विशेष जमा खाते (एस.डी.ए.) में ₹ 22,336.40 करोड़ के विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) के अंत शेष की पुष्टि की। विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज ₹ 1480.75 करोड़ है। निवेश पर ब्याज और उद्दिष्ट तथा गैर-उद्दिष्ट निधि के लिए उनके नियतन का ब्योरा निम्नानुसार है:</p> <table border="1" data-bbox="289 1809 1453 2082"> <thead> <tr> <th>निवेश पर ब्याज</th> <th>( ₹ करोड़ में)</th> <th>नियतन</th> <th>( ₹ करोड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज</td> <td>1,480.75</td> <td>उद्दिष्ट निधियां</td> <td>2,753.99</td> </tr> <tr> <td>मियादी जमा/ प्रतिभूतियों पर ब्याज/ लाभांश</td> <td>8,694.04</td> <td>गैर-उद्दिष्ट निधियां</td> <td>7,420.80</td> </tr> <tr> <td><b>कुल</b></td> <td><b>10,174.79</b></td> <td><b>कुल</b></td> <td><b>10,174.79</b></td> </tr> </tbody> </table>	निवेश पर ब्याज	( ₹ करोड़ में)	नियतन	( ₹ करोड़ में)	विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज	1,480.75	उद्दिष्ट निधियां	2,753.99	मियादी जमा/ प्रतिभूतियों पर ब्याज/ लाभांश	8,694.04	गैर-उद्दिष्ट निधियां	7,420.80	<b>कुल</b>	<b>10,174.79</b>	<b>कुल</b>	<b>10,174.79</b>													
निवेश पर ब्याज	( ₹ करोड़ में)	नियतन	( ₹ करोड़ में)																											
विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज	1,480.75	उद्दिष्ट निधियां	2,753.99																											
मियादी जमा/ प्रतिभूतियों पर ब्याज/ लाभांश	8,694.04	गैर-उद्दिष्ट निधियां	7,420.80																											
<b>कुल</b>	<b>10,174.79</b>	<b>कुल</b>	<b>10,174.79</b>																											





1.09	<p>The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) [Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme] during the Financial Year has been done on the basis of actuarial valuation in terms of Accounting Standard 15-Employees Benefit and provision of Sec 37 of Employees' State Insurance Act 1948. The provision for Permanent Disability Benefit Fund (PDBF), Dependent Benefit Fund (DBF) and ESIC Covid-19 Relief Scheme Reserve Fund during the year has also been done on the basis of actuarial valuation. As per actuarial valuation report - ESIC Covid-19 Relief Scheme Reserve Fund as on 31.03.2024 were showing an excess of ₹ 279.45 crore, which have been accounted as an actuarial gain and booked as Miscellaneous income in terms of para 7 of the significant accounting policy.</p>																												
1.10	<p>The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) - Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme has been booked on the basis of actuarial valuation as per details given below:- ( ₹ in crore)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Schedule</th> <th style="width: 15%;">EBRF - Pension</th> <th style="width: 15%;">EBRF - Gratuity</th> <th style="width: 15%;">EBRF - Leave Encashment</th> <th style="width: 15%;">EBRF - PMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schedule 20-A Medical Benefits*</td> <td style="text-align: right;">355.36</td> <td style="text-align: right;">58.78</td> <td style="text-align: right;">29.84</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Schedule 20-D Medical Education*</td> <td style="text-align: right;">5.04</td> <td style="text-align: right;">2.97</td> <td style="text-align: right;">1.70</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Schedule 21 Establishment Expenses</td> <td style="text-align: right;">559.38</td> <td style="text-align: right;">32.78</td> <td style="text-align: right;">15.81</td> <td style="text-align: right;">7.43</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>919.78</b></td> <td style="text-align: right;"><b>94.53</b></td> <td style="text-align: right;"><b>47.36</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.43</b></td> </tr> </tbody> </table>				Schedule	EBRF - Pension	EBRF - Gratuity	EBRF - Leave Encashment	EBRF - PMS	Schedule 20-A Medical Benefits*	355.36	58.78	29.84	-	Schedule 20-D Medical Education*	5.04	2.97	1.70	-	Schedule 21 Establishment Expenses	559.38	32.78	15.81	7.43	<b>Total</b>	<b>919.78</b>	<b>94.53</b>	<b>47.36</b>	<b>7.43</b>
Schedule	EBRF - Pension	EBRF - Gratuity	EBRF - Leave Encashment	EBRF - PMS																									
Schedule 20-A Medical Benefits*	355.36	58.78	29.84	-																									
Schedule 20-D Medical Education*	5.04	2.97	1.70	-																									
Schedule 21 Establishment Expenses	559.38	32.78	15.81	7.43																									
<b>Total</b>	<b>919.78</b>	<b>94.53</b>	<b>47.36</b>	<b>7.43</b>																									
	<p>* figures of EBRF pertaining to medical benefits and medical education is booked under "pay and allowances" of schedule 20-A and 20-D resp.</p>																												
	<p><b>Investments</b></p>																												
1.11	<p>Interest on investment of earmarked reserve fund has been credited to respective reserve fund under schedule 15 and Interest on non earmarked fund has been taken as income of the Corporation in Income &amp; Expenditure Account. ESIC has also invested in Special Deposit Account (SDA) through Pay &amp; Account Office (PAO), Ministry of Labour &amp; Employment. PAO of Ministry of Labour &amp; Employment has confirmed the closing balance of SDA of ₹ 22,336.40 crore as on 31.03.2024 vide their Letter No. F.No. PAO/Corres/ESIC/MS/2023-24/79 dated 12th April 2024. Interest on SDA is ₹ 1480.75 crore. Detail of interest on investment and their allocation to earmarked and non-earmarked fund are as follows :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">INTEREST ON INVESTMENTS</th> <th style="width: 15%;">( ₹ in crore)</th> <th style="width: 40%;">ALLOCATION</th> <th style="width: 20%;">( ₹ in crore)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interest on SDA</td> <td style="text-align: right;">1,480.75</td> <td>Earmarked funds</td> <td style="text-align: right;">2,753.99</td> </tr> <tr> <td>Interest/ Dividend on Fixed Deposit/securities</td> <td style="text-align: right;">8,694.04</td> <td>Non-earmarked Funds</td> <td style="text-align: right;">7,420.80</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10,174.79</b></td> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10,174.79</b></td> </tr> </tbody> </table>				INTEREST ON INVESTMENTS	( ₹ in crore)	ALLOCATION	( ₹ in crore)	Interest on SDA	1,480.75	Earmarked funds	2,753.99	Interest/ Dividend on Fixed Deposit/securities	8,694.04	Non-earmarked Funds	7,420.80	<b>Total</b>	<b>10,174.79</b>	<b>Total</b>	<b>10,174.79</b>									
INTEREST ON INVESTMENTS	( ₹ in crore)	ALLOCATION	( ₹ in crore)																										
Interest on SDA	1,480.75	Earmarked funds	2,753.99																										
Interest/ Dividend on Fixed Deposit/securities	8,694.04	Non-earmarked Funds	7,420.80																										
<b>Total</b>	<b>10,174.79</b>	<b>Total</b>	<b>10,174.79</b>																										



## वार्षिक लेखे 2023-2024

1.12	क.रा.बी. निगम निधि का समेकित निवेश उद्दिष्ट तथा गैर उद्दिष्ट निधियों के लिए किया जाता है। कुल निवेश पर अर्जित ब्याज का नियतन, क.रा.बी. निगम भविष्य निधि के सिवाय वित्तीय वर्ष के लिए निधि के आदि शेष के आधार पर निधियों में से किया जाता है। क.रा.बी.निगम भविष्य निधि के लिए ब्याज नियतन अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में वर्ष के लिए जमा वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है। अभिदाता के खाते में जमा किए गए सामान्य भविष्य निधि ब्याज की अधिकता, आवंटित ब्याज से अधिक को सामान्य आरक्षित निधि और इसके विपरीत से अंतरित किया जाता है।
1.13	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम की कुल निवेश राशि ₹ 148547.16 करोड़ है जिसमें से विशेष जमा खाता में निवेश राशि 22336.40 करोड़ है तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास मियादी जमा राशि ₹ 44.29 करोड़ (लीगसी मियादी जमा) है और दिनांक 31.03.2024 तक के अनुसार निवेश के रूप में अभिरक्षक (कस्टोडियन) सहित निधि ₹ 126166.47 करोड़ है। निवेश क.रा. बी.(केंद्रीय नियमावली), 1950 के नियम 27 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) के उपबंध तथा विधिवत रूप से अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार किया गया है।
1.14	दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 161वीं बैठक में अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 3 के संबंध में लिए गए निर्णयानुसार पूंजी निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) के निवेश पर ब्याज को राजस्व आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।
1.15	तुलन-पत्र में निवेश को लागत मूल्य/सौदा मूल्य पर दर्शाया गया है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य में किसी अंतर को निवेश आय में शामिल किया गया है जो नए निवेश के मूल्य को प्रभावित करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम पूल पर निवेश का अनुरक्षण कर रहा है तथा ब्याज और लाभांश में किसी प्रकार के परिवर्धन और विलोप को उसी समय पुनर्निवेश किया जाता है।
1.16	लेखाकरण मानक 10 के अनुसार कार्यालय भवनों और स्टाफ आवास के लिए आरक्षित निधि मूल्यह्रास में विशेष मरम्मत की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के कारण ₹ 22.93 करोड़ की राशि को राजस्व आय में दिखाया गया है।
1.17	₹ 2054.19 करोड़ का प्रशासनिक व्यय(क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय/राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी) कुल राजस्व आय का 7.84% बनता है। इसमें ₹ 615.40 करोड़ कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशनभोगी चिकित्सा योजना की देयता का प्रावधान शामिल है।
	<b>लेखागत भुगतान:</b>
1.18	बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा देखभाल पर व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(3) के उपबंधों के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकार के बीच 7:1 अनुपात में बांटा जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 90% अंश का भुगतान प्रत्येक वर्ष अप्रैल (45%) और अक्टूबर (45%) में वर्ष में दो बार 'लेखागत भुगतान' के माध्यम से अग्रिम रूप में राज्य सरकार को किया जाता है। शेष 10% राशि का भुगतान लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर 'पूर्ण और अंतिम' समायोजन के समय किया जाता है जो अनुसूची-7 "चालू देयता और प्रावधान" के अंतर्गत "लेखागत देय" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
1.19	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए धारा 45क के अंतर्गत 23 कालातीत मामलों की अनंतिम राशि ₹14.93 लाख है।





1.12	Consolidated investment of ESIC Fund in done for Earmarked and Non-earmarked funds. Interest earned on total investment is allocated among the funds on the basis of opening balance of the fund for the financial year except for ESIC Provident Fund. Interest allocation to ESIC Provident Fund is done on the basis of actual interest credited to subscriber's GPF account for the year. Excess of GPF interest credited to Subscribers account over interest allocated is transferred from General Reserve Fund and vice-versa.
1.13	The total investment of ESIC as on 31.03.2024 stands at ₹ 148547.16 crore, out of which investment in Special Deposit Account is ₹ 22336.40 crore and in fixed deposit with schedule commercial Banks ₹ 44.29 crore (Legacy FD) and Funds with custodian in the form of investment as on 31.03.2024 is ₹ 126166.47 crore. Investment is done in accordance with provision of section 29(2) of the ESI Act, 1948, read with Rule 27 of ESI (Central Rules), 1950 and duly approved investment policy.
1.14	Interest on investment of Capital Construction Reserve Fund (CCRF) has been accounted for as Revenue Income as per decision taken in 161st meeting of ESI Corporation held on 14th February 2014 vide supplementary agenda item no. 3.
1.15	Investments in the Balance sheet are shown on cost price/deal value. Any difference in face value and cost price is subsumed in the yield of the investment that effect the value of fresh investment. ESIC is maintaining investment on pool and any addition and deletion in the form of interest and dividend is reinvested at the same time.
1.16	An amount of ₹ 22.93 crore is charged to Revenue Income because of excess recoupment of Special Repairs in depreciation Reserve Fund for Office Buildings and Staff Quarters as per Accounting standard 10.
1.17	Administrative Expenses of (RO/SRO/HQ/NTA) ₹ 2054.19 crore works out as 7.84 % of the Total Revenue Income. This includes ₹ 615.40 crore towards provision of liability of Employee's Benefit Reserve Fund - Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioner's Medical Scheme.
<b>On Account Payment :-</b>	
1.18	The expenditure on medical care to insured persons and members of their family is shared between ESIC and State Govt. under provision of Section 58(3) of ESI Act in the ratio of 7:1. 90% of ESIC share is being paid to State Govt. in advance through 'On Account' payment biannually in April (45%) and October (45%) every year. Remaining 10% is released at the time of 'full & final' settlement on receipt of audit certificates which is reflected under "On Account payable" under Schedule-7 "Current Liabilities and Provisions"
1.19	The tentative amount of time barred cases u/s 45 A for the financial year 2023-24 is ₹ 14.93 lakh involving 23 cases.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

1.20	धोखाधड़ी मामले
	<p><b>मातृत्व हितलाभ मामला, क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद, हरियाणा:</b>— 2016–19 की अवधि के लिए विशेष लेखापरीक्षा में 4,99,86,791 रुपये की धोखाधड़ी के 1014 मामलों का खुलासा हुआ, जिनमें से 2016–19 की अवधि के लिए सतर्कता जांच द्वारा 15,82,126/- रुपये की राशि के 21 मामलों को धोखाधड़ी के रूप में पकड़ा गया। इसमें शामिल अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दिनांक 29.12.2020 को सीबीआई/एसीबी, चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही मामले से संबंधित दस्तावेज आगे की जांच के लिए दिनांक 09.06.2021 को सीबीआई को प्रस्तुत किए गए थे और 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद में चल रही है और 14 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 2013–15 की विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में धोखाधड़ी के रूप में 3,90,63,182/- रुपये की राशि के 1097 मामलों का खुलासा हुआ। इस मामले में 05 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और मामले में सीबीआई जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद से अनुरोध किया गया है कि वे कानूनी राय लें और वसूली की कार्रवाई के लिए सीबीआई के साथ परामर्श करें। निगम निधि से धोखाधड़ी से आहरित धगबन की गई राशि की वसूली के संबंध में आगे की उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक, सीबीआई चंडीगढ़ से राय मांगी गई है, जवाब अभी प्रतीक्षित है। शाखा कार्यालय, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद की 2013–15 की अवधि की विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मातृत्व हितलाभ की धोखाधड़ी में लिप्त कार्मिकों के विरुद्ध दिनांक 09.02.2024 को सीबीआई में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक हरियाणा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17(ए) के अंतर्गत दिनांक 23.04.2024 को 5 (पांच) कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करने की अनुमति सीबीआई कार्यालय को दी है। विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मातृत्व हितलाभ भुगतान के धोखाधड़ी मामलों में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के स्तर पर चल रही है।</p>
	<p><b>मातृत्व हितलाभ मामला, उप क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना, पंजाब:</b> — 2016–19 की अवधि के लिए विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 12,20,149 रुपये के 33 मामलों को धोखाधड़ी के रूप में पकड़ा गया था। क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब द्वारा जांच की गई। अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मामले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ 09 कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए। 03 मसौदा आरोप पत्र जांच के लिए जारी किए गए थे। 11 कार्मिकों (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। श्री विजय कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक और श्री मनीष, प्रवर श्रेणी लिपिक के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए हैं। 05 दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसमें 02 मामलों में सुनवाई कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पक्ष में है। मामले में पूरी वसूली की गई है।</p>
	<p><b>शाखा कार्यालय, कादी, गुजरात में धोखाधड़ी की सूचना:</b> — अप्रैल से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान शाखा कार्यालय के सहायक/दावा क्लर्क श्री प्रिय चक्रवर्ती द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि खाता संख्या 2 से 14,15,090 रुपये की राशि का धोखाधड़ी से गबन किया गया। 64033/- रुपये की राशि वसूली गई है। क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात द्वारा कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। 01 अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और 11 आरोप पत्र जारी किए गए। धोखाधड़ी में गबन की गई राशि की वसूली के संबंध में पैनल अधिवक्ता की कानूनी राय ली गई है और विचाराधीन है। पुलिस प्राधिकारियों ने दिनांक 09.06.2023 को आरोप पत्र दायर किया है। माननीय द्वितीय अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कादी के समक्ष आपराधिक मामला दायर किया गया है। मामला "अभियोजन पक्ष के साक्ष्य" स्तर पर है। 12,20,333/- रुपये की कथित सम्पूर्ण राशि को तीन माह की अवधि के भीतर चुकाने के श्री प्रिय चक्रवर्ती और उसकी पत्नी द्वारा दायर वचनबद्धता के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 23.02.2024 के अनुसरण में श्री प्रिय चक्रवर्ती को कादी सब-जेल से रिहा कर दिया गया है।</p>



1.20	<b>Fraud Cases</b>
	<p><b>Maternity Benefit Case, Regional Office Faridabad, Haryana :-</b> Special Audit for the period 2016-19, revealed 1014 cases involving Rs. 4,99,86,791/- as fraud out of which 21 cases involving amount of Rs. 15,82,126/- was detected as fraud by vigilance investigation for the period 2016-19. FIR was lodged with CBI/ACB, Chandigarh on 29.12.2020 against the officials and other involved. Also documents related to the matter were submitted on 09.06.2021 to CBI for further investigation and disciplinary action against 13 officials is under process at R.O. Faridabad and 14 Officials were placed under suspension. Further Special Audit Report of 2013-15 revealed 1097 cases involving amount of Rs. 3,90,63,182/- as fraud. Disciplinary action against 05 officials in this case is also under process. The matter is referred to CBI and further action will be taken after the CBI investigation is complete in the matter. RO Faridabad was requested to take legal opinion and consultation with CBI reg. the recovery action. The Superintendent of Police, CBI Chandigarh has been requested to give advise regarding further suitable action to be taken regarding recovery of fraudulently drawn/embezzled amount of the corporation funds, reply in the matter is still awaited. A complaint dated 09.02.2024 has been filed in CBI against officials involved Fraudulent Maternity Benefit based on Special Audit Report of Branch Office Sector 27B Faridabad Period 2013-15. Permission under 17(A) PC Act of 1988 for conducting investigation against 5 employees has been given by AC&amp;RD Haryana to CBI Office on 23.04.2024. Disciplinary proceedings against employees involved in Fraudulent Maternity Benefit payments case based on Special Audit Report is going on at RO Faridabad Level.</p>
	<p><b>Maternity Benefit Case, SRO Ludhiana, Punjab: -</b>As per the special Audit Report for the period 2016-19, 33 cases of Rs. 12,20,149/- were detected as fraud. The Investigation was conducted by RO, Punjab. Disciplinary action as well as criminal action are under process. 09 SCNs were issued against the officials involved in the case. 03 draft charge sheets were issued for vetting. FIR against 11 Officials (both in service and retired) has been registered. Chargesheets against Sh. Vijay Kumar, UDC and Sh. Manish,UDC have been issued. Case against 05 erring officials were filed wherein hearing in 02 cases is in favor of ESIC. Total recovery has been made in the matter.</p>
	<p><b>Fraud Reported at Branch Office, Kadi, Gujarat: -</b>An amount of Rs. 14,15,090/- from ESIC Fund account No. 2 was fraudulently embezzled by Sh. Priy Chakravarti, Assistant/Claim Clerk of the Branch Office during the period April to December 2018. Amount of Rs. 64,033/- has been recovered. Disciplinary proceedings have been initiated against the officials by the Regional Office, Gujarat. 01 official was suspended and 11 charge sheets were issued. The legal opinion regarding recovery of embezzled amount in fraud of Panel Advocate is obtained and is under consideration. The police authorities filed chargesheet on 09.06.2023. The criminal Case has been filed before Hon'ble 2nd Additional Senior Judge &amp; A.C.J.M, Kadi. The case is at "Evidence of Prosecution" stage. Sh. Priy Chakravarti has been released from Kadi Sub-Jail on 27.02.2024 in pursuance of Hon'ble High Court order dated 23.02.2024 on the basis of the undertaking that Sh. Priy Chakravarti is willing to repay the entire alleged amount of Rs. 12,20,333/- within a period of three months and undertaking to that effect has also been filed by the wife of the Sh. Priy Chakravarti.</p>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

	<p><b>मातृत्व हितलाभ मामला, शाखा कार्यालय बोम्मासांद्रा, कर्नाटक:</b>— सतर्कता इकाई, दक्षिण क्षेत्र द्वारा 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की अवधि के दौरान 52,68,144 रुपये के फर्जी एमबी भुगतान के 71 मामलों का पता लगाया गया था। दिनांक 11.06.2021 की जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर सं. आरसी0372021ए0014 दिनांक 30.11.2021 को सीबीआई, एसीबी बेंगलोर में श्री वसंत कुमार के., सहायक के खिलाफ दर्ज की गई थी। 07 अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पीन्या से कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय-मैंगलोर में स्थानांतरित भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मातृत्व हितलाभ के भुगतान में धोखाधड़ी करने वाले 11 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (एससीएन) शुरू की गई है जो प्रगति पर है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है और कर्मचारी दिनांक 21.02.2024 से निलंबित है। जबकि, कर्मचारी ने दिनांक 02.02.2024 को जारी किए गए आरोप ज्ञापन के खिलाफ दिनांक 23.03.2024 के पत्र के माध्यम से अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें कर्मचारी ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। इसलिए, नियमानुसार कर्मचारी के विरुद्ध आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सीबीआई, एसीबी बेंगलोर ने श्री वसंत कुमार के विरुद्ध माननीय सीबीआई मामलों की अदालत सीसीएच4 XXI एडीडीएल सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को आरोप पत्र सी.सी. संख्या 244/2024 दायर किया है, जिसमें उन पर 96,43,936/- रुपये के हितलाभ के भुगतान में धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता का आरोप है, जब कर्मचारी शाखा कार्यालय बोम्मासांद्रा में तैनात थे।</p>
	<p><b>निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली में दर्ज धोखाधड़ी की रिपोर्ट:</b> श्री सतीश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक/रोकड़िया द्वारा 12.47 करोड़ रुपये की निधि का गबन, जिसके लिए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था और मामला आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली में लंबित है। इस मामले में 9 अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था और श्री सतीश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक/रोकड़िया को निगम की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था। श्री रवि चंद्रा, सहायक निदेशक को तत्कालीन प्रवर श्रेणी लिपिक श्री सतीश कुमार द्वारा गबन की गई राशि की शीघ्र जांच और वसूली के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ बैठक करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उक्त अधिकारी (सहायक निदेशक) ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रतिनियुक्त आईओ (श्री रविंदर) ने सूचित किया है कि पुलिस द्वारा राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है और उन्होंने सूचित किया है कि गबन की गई राशि बरामद नहीं की जा सकती है। निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली को मामले को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी राय लेने की सलाह दी गई है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सीबीआई की विशेष अदालत, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच विभिन्न तिथियों पर 08 कर्मचारियों पर बड़ा दंड लगाया गया। एक कर्मचारी को दिनांक 03.06.2022 को माफ किया गया। एक कर्मचारी का मामला, जिस पर बड़ा दंड प्रस्तावित है, दिनांक 01.11.2023 से सीवीसी के पास एसएसए के लिए लंबित है।</p>
	<p><b>क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब के अंतर्गत लालडू शाखा कार्यालय में धोखाधड़ी:</b>— 42.48 लाख रुपये की धोखाधड़ी की सूचना मिली। मामले की जांच की गई और रोकड़िया और 02 शाखा प्रबंधकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई। रोकड़िया पुलिस हिरासत में था और पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से जमानत पर रिहा कर दिया गया था और जांच की कार्यवाही चल रही है। अभी तक कोई वसूली नहीं हुई है। शाखा कार्यालय, लालडू में गबन की गई राशि के संबंध में कानूनी वकील से कानूनी राय ली गई थी। वकील की राय के अनुसार वसूली मुकदमा अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट, डेराबस्सी, पंजाब में आगे की वसूली कार्रवाई के लिए दायर किया गया है। 03 कर्मचारियों पर बड़ा दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की गई:— 1. श्री पंकज शर्मा, शाखा प्रबंधक को (दिनांक 30.11.2020 को सेवानिवृत्त) — फाइल संदर्भ संख्या सी-14/15/44/2020—सतर्कता के तहत जारी दिनांक 15.10.2020 के आदेश द्वारा माफ किया गया।</p>





	<p><b>Maternity Benefit Case, Branch Office Bommasandra, Karnataka:-</b>71 cases of fraudulent MB payments amounting to Rs. 52,68,144/- were detected during the period 2016-17, 2017-18 &amp; 2018-19 by the vigilance unit, South Zone. Based on Investigation Report dated 11.06.2021 FIR No. RC0372021A0014 dated 30.11.2021 was registered with CBI, ACB Bangalore against Sh. Vasanth Kumar K., Asst. Disciplinary action has been taken against 07 officers/Officials. He has also been transferred to ESIC SRO-Mangalore from ESIH, Peenya. Further, disciplinary action (SCNs) has been initiated against 11 Officials in relation to the fraudulent Maternity which is under progress. The Disciplinary Authority has issued Charge sheet against the official and the official is under suspension with effect from 21.02.2024. Whereas, the official has submitted his representation vide letter dated 22.03.2024 against the Charge memorandum issued 02.02.2024 denying all the charges framed against the official. Hence, further action against the official as per rules is under process. CBI, ACB Bangalore has filed Charge Sheet C.C No.244/2024 dated 29.02.2024 against the official Shri. Vasanth Kumar K. before Hon'ble Court for CBI Cases CCH4 XXI ADDL. CITY CIVIL AND SESSIONS JUDGE for his alleged involvement in misappropriation of fraudulent benefit payments to the tune of Rs. 96,43,936/- while the official was posted at Branch Office Bommasandra.</p>
	<p><b>Fraud reported at Director(Medical) Delhi:-</b>Embezzlement of fund of Rs. 12.47 Cr by Sh. Satish Kumar, UDC/Cashier for which he was charge sheeted by Delhi Police and case is pending with economic offence wing, Delhi. 9 officers/officials were charge sheeted in this case &amp; Sh. Satish Kumar, UDC/Cashier dismissed from services of the corporation. Shri Ravi Chandra, AD was deputed to hold a meeting with Senior Police Officer for early investigation and recovery of embezzled amount, embezzled by Shri Satish Kumar, the then UDC. The said Officer (AD) vide his reply submitted that the IO (Shri Ravinder), deputed by Economic Offence Wing, Delhi Police, has informed that charge sheet has been filed in Rouse Avenue Court by Police and they informed that the embezzled amount could not be recovered. The D(M)D has been advised to take the legal opinion for pursuing the matter further. The matter is sub judice and court proceedings are going on in the, Special Court CBI,Rouse Avenue District Court. Major penalty imposed on 08 officials on various dates between 2017 to 2022. One official was exonerated on 03.06.2022. Case of one Official where major penalty is proposed is pending for SSA with CVC since 01.11.2023.</p>
	<p><b>Fraud at Lalru Branch Office under RO Punjab:-</b>Fraud amounting to Rs. 42.48 lakh was reported. The matter was investigated and disciplinary action was initiated against the cashier and 02 Branch Managers. Cashier was under police custody and was released on bail by the orders of honorable High court of Punjab and Haryana and the enquiry proceedings are going on. No recovery has been affected till date. A legal opinion was obtained from the legal counsel in respect of the amount embezzled. As per the opinion of counsel the Recovery suit has been filed in Additional Civil Judge Senior Division Court, Derabassi, Punjab for further recovery action. 03 officials were proceeded under Major penalty procedure:- 1. Sh. Pankaj Sharma, BM (Retired on superannuation on 30.11.2020) - Exonerated</p>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

	<p>2. श्रीमती उमा देवी कपिला, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक पर निम्नलिखित दंड लगाया गया है: • 10 वर्षों की अवधि के लिए पेंशन में 30% की कटौती। • 5 वर्षों की अवधि के लिए पेंशन में 20% की कटौती। 3. श्री विजय कुमार राणा, प्रवर श्रेणी लिपिक – दिनांक 17.11.2023 के आदेश के तहत निगम की सेवाओं से बर्खास्त। जेएमआईसी, डेराबस्सी की माननीय अदालत के समक्ष दायर रिकवरी सूट पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।</p>
	<p><b>शाखा कार्यालय, आदित्यपुर, गोलमुरी और रांची झारखंड में मातृत्व हितलाभ मामला:-</b> संदिग्ध अनियमित भुगतान की राशि 18,22,199 रुपये बनती है। अनियमित भुगतान में संदिग्ध पाए गए सभी 05 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। 02 जांच अधिकारी 05 आरोपी अधिकारियों के मामले की जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है लेकिन कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। शाखा कार्यालय रांची- विभागीय जांच में जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है। शाखा कार्यालय आदित्यपुर और गोलमुरी- आंचलिक सतर्कता अधिकारी (पूर्वी अंचल) ने दिनांक 09.02.2023 के पत्र द्वारा दस्तावेजों की आवश्यक प्रतियां, उन मामलों के बैंक शासनादेशों को अग्रेषित करने के लिए सूचित किया था जिनमें सतर्कता दृष्टिकोण देखा गया है। इस संबंध में, क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड ने पहले ही दिनांक 13.06.2023 को भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को एक पत्र भेजा है। भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 17.08.2023 को रिपोर्ट भेजी थी लेकिन पंजाब नेशनल बैंक से जवाब प्रतीक्षित है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय जांच पूरी कर ली गई है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने निम्नलिखित बड़ा दंड अधिरोपित किया है (1) श्री नयनतोष कुमार आजाद, अवर श्रेणी लिपिक – अवर श्रेणी लिपिक के पद अर्थात् प्रवर श्रेणी लिपिक से अवर श्रेणी लिपिक में पदावनति। इसके अतिरिक्त, अगले उच्चतर पद पर उनकी पदोन्नति पर 05 वर्ष की अवधि के लिए रोक होगी। उसे सभी मौजूदा नियमित अवर श्रेणी लिपिक में सबसे नीचे रखा जाएगा। (2) श्री सचिit कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक – निचले पद यानी सहायक से प्रवर श्रेणी लिपिक में पदावनति। इसके अतिरिक्त, अगले उच्चतर पद पर उनकी पदोन्नति पर 05 वर्ष की अवधि के लिए रोक होगी। उन्हें सभी मौजूदा नियमित प्रवर श्रेणी लिपिक में सबसे नीचे रखा जाएगा। (3) श्री मंगल सिंह केराई, प्रवर श्रेणी लिपिक – 7 वर्ष की अवधि के लिए ग्यारह चरणों द्वारा समयमान वेतनमान में निचले स्तर में पदावनति। इसके अलावा, वह दंड की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेगा और कमी (रिडकशन) पदावनति के वेतन की भविष्य की वेतन वृद्धि में स्थगन प्रभावी होगा (4) श्री अवध किशोर सिंह (सेवानिवृत्त) – मुख्यालय से प्राप्त आदेश संख्या सी-14/15/05/2023-सतर्कता, दिनांक 23.01.2024 द्वारा दंड लगाया गया (उपदान से 4 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है)। (5) श्री प्रभात कुमार सिन्हा – मुख्यालय से प्राप्त आदेश संख्या सी-14/15/05/2023-सतर्कता दिनांक 23.01.2024 के द्वारा दंड लगाया गया। 4 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। (उपदान से 37,296/- रुपये की राशि वसूल की गई है)। उपर्युक्त के अनुपालन में क्रम सं 4 और 5 में उल्लिखित नामों को छोड़कर किसी राशि की कटौती नहीं की गई है।</p>
	<p><b>उप क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा में धोखाधड़ी की सूचना:-</b> वित्त और लेखा शाखा, मुख्यालय कार्यालय ने दिनांक 03.12.2014 को शाखा कार्यालय, तनुका में श्री एम. राज कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया। उप क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा ने दिनांक 25.11.2014 से 28.11.2014 की अवधि के दौरान शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया है। निगम निधियों के गबन के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा दल से सूचना प्राप्त होने पर श्री एम राज कुमार को दिनांक 03.09.2015 को आरोप-पत्र जारी किया गया। इसके अलावा, अमृतलीला, शाखा प्रबंधक (प्रभारी) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और इसके बाद दिनांक 14.09.2016 को 2 साल के लिए वेतन में 02 चरणों की कटौती का दंड लगाया गया। श्री जी हनुमन्ना, शाखा प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही, सत्यनिष्ठा की कमी के लिए दिनांक 23.06.2016 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।</p>



	<p>vide order dated 15.10.2020, issued under File reference No C-14/15/44/2020-Vig. 2. Smt. Uma Devi Kapila, the then BM has been imposed with following penalties:• A 30% cut in pension for a period of 10 years. • A 20% cut in pension for a period of 5 years. 3. Sh. Vijay Kumar Rana, UDC - Dismissed from the services of the Corporation vide order dated 17.11.2023. The recovery suite filed before the Hon'ble Court of JMIC, Derabassi has not reached its finality.</p>
	<p><b>Maternity Benefit Case at Branch Office, Adityapur, Golmuri and Ranchi Jharkhand:-</b> The amount of suspected irregular payment comes to Rs. 18,22,199/- . Disciplinary action initiated against all 05 Officials who were found suspected in irregular payment. 02 Inquiry Officers were investigating the case of 05 accused officials. Further, RO Jharkhand had requested thereby for lodging FIR against the erring Officials but no action had been initiated. Branch Office Ranchi- In Departmental Inquiry, the inquiry officer submitted his inquiry report and decision has been concluded by the Disciplinary Authority. Branch Office Adityapur and Golmuri- The ZVO(EZ) had intimated vide letter dated 09.02.2023 to forward necessary copies of documents, Bank mandates of the cases in which vigilance angle have been observed. In this connection, RO Jharkhand has already sent a letter to SBI Bank and PNB on 13.06.2023. SBI had sent the report on 17.08.2023 but reply from PNB is awaited till date. The departmental inquiry has been completed on the basis of inquiry report. Disciplinary Authority has imposed major penalty as follows: (1) Sh. Nayantosh Kr. Azad, LDC- Reduction to a lower post i.e. from UDC to LDC. There shall further be a bar on his promotion to the next higher post for a period of 05 years. He will be placed at the bottom of all the existing regular LDCs. (2) Sh. Sachit Kumar, UDC- Reduction to a lower post i.e. from Assistant to UDC. There shall further be a bar on his promotion to the next higher post for a period of 05 years. He will be placed at the bottom of all the existing regular UDCs. (3) Sh. Mangal Singh Kerai, UDC- Reduction to a lower stage in the time scale of pay by eleven stages for a period of 7 years. Further, he will not earn increments during the currency of penalty period and the reduction will have effect of postponing future increments of pay. (4) Sh. Awadh Kishore Singh(Retd.)- Penalty imposed vide order No. C-14/15/05/2023-Vig dated 23.01.2024 received from Hqrs. Office( An amount of Rs. 4 Lakhs has been recovered from gratuity). (5) Sh. Prabhat Kr. Sinha- Penalty imposed vide order No. C-14/15/05/2023-Vig dated 23.01.2024 received from Hqrs. Office An amount of Rs. 4 Lakhs has been recovered. (An amount of Rs. 37,296/- has been recovered from gratuity). In compliance of above no amount has been deducted except the names mentioned at S. No. 4&amp; 5.</p>
	<p><b>Fraud reported at SRO Vijaywada:-</b> Finance and Account branch, Hqrs Office informed about the fraud committed by Sh. M. Raj Kumar, UDC at Branch Office, Tanuka on 03.12.2014. SRO Vijaywada has conducted inspection of BO during the period 25.11.2014 to 28.11.2014. On receipt of information from Internal Audit Team regarding embezzlement of corporation funds, Charge sheet dated 03.09.2015 issued to Sh. M Raj Kumar. Further, Amritleela, Branch Manager(i/c) was charge sheeted followed by penalty of reduction of Pay by 02 stages for 2 years on 14.09.2016. Contd..</p>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

	<p>संबंधित प्रवर श्रेणी लिपिक श्री एम राज कुमार को दिनांक 07.02.2017 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा आपराधिक मामले में श्री एम राज कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक को 03 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। राजस्व वसूली अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा ने सूचित किया है कि श्री एम. राज कुमार के बैंक खातों से 2,93,683/- रुपये की राशि वसूल की गई है। न्यायालय ने 29,49,698/- रुपये की दुर्विनियोजन राशि के संबंध में निर्णय नहीं दिया है। उप क्षेत्रीय कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई करें। जिस पर इस कार्यालय के कानूनी वकील ने राय दी कि सेवा नियमों के अनुसार, बर्खास्त कर्मचारी किसी भी अर्जित सेवा लाभ के लिए पात्र नहीं है और इसलिए ऐसे आपराधिक मामलों में सेवा नियमों में वसूली प्रावधानों आदि पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा, मुख्यालय ने उप क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा को अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गई शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के अनुसार बर्खास्त कर्मचारी पर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया। जिसके जवाब में उप क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा ने कहा कि सीसीएस(सीसीए) नियमों के अनुसार बर्खास्त कर्मचारियों पर आर्थिक कार्रवाई निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा को उपर्युक्त बर्खास्त कर्मचारी से दिनांक 27.09.2023 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सूचित किया गया कि उसकी अपील को चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तनुकु ने सीसी संख्या 732/2015 में प्रथम श्रेणी के प्रथम अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, तनुकु के दिनांक 21.08.2019 के आदेश को रद्द करने की अनुमति दी है और उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रोजगार में लेने का अनुरोध किया है क्योंकि उसे आईपीसी, 1860 की धारा 409 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया और अतिरिक्त अनुशासनिक प्राधिकारी अर्थात् अपर आयुक्त और क्षेत्रीय निदेशक, बेंगलुरु, कर्नाटक के अवलोकन के लिए भेज दी गई है और कहा गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं में फिर से तैनाती के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है और इसकी सूचना बर्खास्त कर्मचारी को दिनांक 17.01.2024 के पत्र के माध्यम से दी गई थी। श्री जी हनुमन्ना, शाखा प्रबन्धक के मामले में दिनांक 27.02.2024 को सीवीसी से एसएसए प्राप्त हुआ है, जहां बड़ा दंड प्रस्तावित है, अंतिम आदेश जारी किया जाना शेष है।</p>
1.21	<p>निगम को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹18315.18 करोड़ की अंशदान आय प्राप्त हुई और इसमें से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वसूली कार्यवाही/चूककर्ता कार्रवाई के परिणामस्वरूप वसूल की गई राशि ₹ 237.49 करोड़ है, जो 2023-24 से पहले की अंशदान अवधि से संबंधित है।</p>
1.22	<p>क्षेत्रीय लेखा इकाइयों द्वारा गलत वर्गीकरण के कारण कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम और मोटर कार अग्रिम ऋणात्मक शेष दर्शा रहा है। इन शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकरण के प्रयास जारी हैं।</p>
1.23	<p>कोविड-19 महामारी के फैलने पर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में अधिग्रहित किया गया था। इन अस्पतालों को चिकित्सकों और कर्मचारियों सहित सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ अधिग्रहित किया गया था। कोविड से संबंधित उपचार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्य राशि को अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया था। गैर-बीमाकृत व्यक्तियों के कोविड उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ संपर्क करने के लिए लगातार प्रयास किए गए।</p>
1.24	<p>अनुसूची-8 (रिजर्व परिसंपत्तिया) तथा अनुसूची-1 (पूंजीगत रिजर्व) में ₹ 1.00 की दर से ओ.बी.एस. परिसंपत्तियां प्रारंभिक परिसंपत्तियां दर्शाती है जिन्हें मार्च 2012 तक नकद आधार पर लेखाकरण में राजस्व खर्च के रूप में बुक किया गया है, वर्ष 2012-13 के दौरान नकद आधार पर लेखाकरण से प्रोद्भूत आधार पर लेखाकरण तक, जो कि क.रा.बी. निगम की लेखाकरण नीति के अनुसार अनुमोदित है, से अंतरण करते समय प्रारंभिक तुलन-पत्र (ओबीएस) में ₹ 1.00 प्रति परिसंपत्ति के रूप में बुक किया गया है।</p>





	<p>Sh.G.Hanumanna, Branch Manager was charge sheeted for negligence, lack of integrity on 23.06.2016. Sh. M Raj Kumar, concerned UDC was dismissed from service on 07.02.2017 . Further in the criminal case Sh.M Raj Kumar, UDC was imposed the penalty of 03 years of imprisonment and fine of Rs. 10,000/-. The Revenue Recovery Officer, RO Vijayawada has informed that an amount of Rs. 2,93,683/- has been recovered from the bank accounts of Sh. M. Raj Kumar. The court judgement is silent about the misappropriation amount of Rs.29,49,698/-. The SRO has been requested to take further action after obtaining the Legal opinion in the matter. To which legal counsel of this office opined that as per the service rules, dismissed employee is not eligible for any accrued service benefits and therefore in such criminal cases, service rules do not contemplate the recovery provisions etc. Further, Hqrs. directed SRO Vijaywada to take necessary action on the dismissed official as per CCS(CCA) Rules under delegation of powers entrusted upon AC&amp;RD. In response to which SRO Vijaywada replied that pecuniary action on dismissed officials cannot be ascertained as per CCS(CCA) Rules. Further, Regional office, Vijaywada has received a representation on 27.09.2023 from the above dismissed employee, intimating that his appeal is allowed by the IV Additional District and Session Judge, Tanuku by setting aside the Order dated 21.08.2019 in CC No. 732/2015 of I Additional Judicial Magistrate of I Class, Tanuku and requested to take him for employment in the ESIC as he was found not guilty for the offence under 409 of IPC, 1860 and the receipt has been forwarded to the perusal of the Disciplinary Authority i.e. Addl. Commissioner &amp; Regional Director, Bengaluru, Karnataka and said Disciplinary Authority has rejected the representations for reposting to services of ESI Corporation and the same was communicated to the dismissed employee vide letter dated 17.01.2024. SSA has been received from CVC on 27.02.2024 in case of Sh. G Hanumanna, BM where major penalty is proposed, final order yet to be issued.</p>
1.21	<p>The Corporation has received the Contribution Income of ₹ 18315.18 Crore during financial year 2023-24 and out which an amount recovered as a result of recovery proceeding/defaulters action during the financial year 2023-24 is ₹ 237.49 crore pertains to contribution periods prior to 2023-24.</p>
1.22	<p>Advances of Pay on Transfer of employees and Motor Car Advance is showing negative balance due to misclassification by field accounting units. Efforts for classification under these heads are undergoing.</p>
1.23	<p>On the outbreak of pandemic COVID-19, the Hospitals of ESIC were acquisitioned by State Governments/UTs as dedicated COVID19 hospital under the provisions of Disaster Management Act 2005. These hospital were acquisitioned along with all infrastructure &amp; amenities including doctors &amp; staff. Amount due from State/UTs for COVID related treatment was booked under Other receivables. Consistent efforts were made to liase wih the respective state government for the reimbursement of expenses accrued from Covid treatment for non-IPs.</p>
1.24	<p>Assets in OBS @ ₹ 1.00 in Schedule- 8 (Fixed Assets ) and Schedule-1 (Capital Reserve) represents opening assets, booked as revenue expenditure in cash basis of accounting up to March 2012, booked at ₹ 1.00 per assets in Opening Balance Sheet (OBS) during 2012-13 at the time of switching from cash basis of accounting to accrual basis of accounting as per approved accounting policy of ESIC.</p>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

सामान्य भविष्य निधि																																	
1.25	सामान्य भविष्य निधि खाता तथा वार्षिक खाता के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि शेष के बीच अंतर, वर्ष 2012-13 में लेखाकरण के नकद आधार से प्रोद्भूत आधार पर स्विक करने के समय उत्पन्न हुए अंतर को दर्शाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान मार्च, 2013 के वेतन हेतु प्रावधान का लेखाकरण, सामान्य भविष्य निधि कटौती सहित मार्च, 2013 में किया गया था जबकि सामान्य भविष्य निधि खाता में वास्तविक सामान्य भविष्य निधि प्रविष्टि (पोस्टिंग) अप्रैल, 2013 में की गई।																																
1.26	वर्ष 2023-2024 के दौरान, पीएफआरडीए से 38 कर्मचारियों के संबंध में निधियां प्राप्त हुई थीं, इन्होंने नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) से पुरानी पेंशन योजना में प्रवास का प्रयोग किया है। इसके कारण, क.रा.बी.निगम ने ₹252.41 लाख के सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर ₹141.27 लाख की ब्याज देयता निर्धारित की है, जिसे ऐसे मामलों में सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है।																																
1.27	राज्यों से प्राप्ति योग्य किराया (विशेष मरम्मत और रखरखाव को छोड़कर वास्तविक आधार पर भवनों और नगरपालिका करों पर गणना किए गए किराए का 1/8 हिस्सा) वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः रु. 66.07 करोड़ और 66.48 करोड़ है। वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्ति योग्य किराये को अनुसूची-26 के अंतर्गत पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूची-18 में "किराया, दरें और कर", "अन्य आय" के रूप में दर्शाया गया है।																																
1.28	दिनांक 31.03.2024 तक अंशदान तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली के लिए ₹ 5899.27 करोड़ की राशि शेष है जिसमें से विभिन्न कारणों से वर्तमान देय के लिए ₹ 3351.30 करोड़ वसूली योग्य नहीं है। ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि</th> <th>₹ करोड़ में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि</td> <td>1,770.06</td> </tr> <tr> <td>ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि</td> <td>623.63</td> </tr> <tr> <td>ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि</td> <td>12.10</td> </tr> <tr> <td>घ) बंद तथा जिन नियोक्ता का अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि</td> <td>614.19</td> </tr> <tr> <td>ड) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई, पर निष्पादित नहीं की गई है</td> <td>1.31</td> </tr> <tr> <td><b>कुल क</b></td> <td><b>3,021.29</b></td> </tr> <tr> <th>रुग्ण उद्योगों से देय राशि</th> <th></th> </tr> <tr> <td>उन कारखानों/स्थापनाओं से संबंधित मामले जो बी.आइ.एफ.आर./एन.सी.एल.टी. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।</td> <td>231.07</td> </tr> <tr> <td>कारखाने/स्थापनाएं जो रुग्ण घोषित की गई हैं और पुनर्वास योजना बी.आइ.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।</td> <td>98.94</td> </tr> <tr> <td><b>कुल ख</b></td> <td><b>330.01</b></td> </tr> <tr> <th>दिनांक 31.03.2022 तक के अनुसार वसूली योग्य देय राशि</th> <th></th> </tr> <tr> <td>क) नियोक्ताओं का पता-ठिकाना पता है परंतु इकाई बंद है।</td> <td>194.24</td> </tr> <tr> <td>ख) वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि</td> <td>2,353.73</td> </tr> <tr> <td><b>कुल ग</b></td> <td><b>2,547.97</b></td> </tr> <tr> <td><b>कुल योग (क+ख+ग)</b></td> <td><b>5,899.27</b></td> </tr> </tbody> </table>	वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि	₹ करोड़ में	क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	1,770.06	ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि	623.63	ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	12.10	घ) बंद तथा जिन नियोक्ता का अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि	614.19	ड) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई, पर निष्पादित नहीं की गई है	1.31	<b>कुल क</b>	<b>3,021.29</b>	रुग्ण उद्योगों से देय राशि		उन कारखानों/स्थापनाओं से संबंधित मामले जो बी.आइ.एफ.आर./एन.सी.एल.टी. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।	231.07	कारखाने/स्थापनाएं जो रुग्ण घोषित की गई हैं और पुनर्वास योजना बी.आइ.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।	98.94	<b>कुल ख</b>	<b>330.01</b>	दिनांक 31.03.2022 तक के अनुसार वसूली योग्य देय राशि		क) नियोक्ताओं का पता-ठिकाना पता है परंतु इकाई बंद है।	194.24	ख) वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि	2,353.73	<b>कुल ग</b>	<b>2,547.97</b>	<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>	<b>5,899.27</b>
वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि	₹ करोड़ में																																
क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	1,770.06																																
ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि	623.63																																
ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	12.10																																
घ) बंद तथा जिन नियोक्ता का अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि	614.19																																
ड) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई, पर निष्पादित नहीं की गई है	1.31																																
<b>कुल क</b>	<b>3,021.29</b>																																
रुग्ण उद्योगों से देय राशि																																	
उन कारखानों/स्थापनाओं से संबंधित मामले जो बी.आइ.एफ.आर./एन.सी.एल.टी. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।	231.07																																
कारखाने/स्थापनाएं जो रुग्ण घोषित की गई हैं और पुनर्वास योजना बी.आइ.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।	98.94																																
<b>कुल ख</b>	<b>330.01</b>																																
दिनांक 31.03.2022 तक के अनुसार वसूली योग्य देय राशि																																	
क) नियोक्ताओं का पता-ठिकाना पता है परंतु इकाई बंद है।	194.24																																
ख) वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि	2,353.73																																
<b>कुल ग</b>	<b>2,547.97</b>																																
<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>	<b>5,899.27</b>																																

# Annual Accounts 2023-2024



GPF																																	
1.25	The difference between GPF balance as per GPF Accounts and Annual Accounts represents difference arisen at the time of switching from cash basis to accrual basis of accounting in the year 2012-13. During the year 2012-13 accounting of provision for Salary of March, 2013 was done in March, 2013 along with GPF deductions where as actual GPF posting in GPF Accounts in April, 2013.																																
1.26	During the year 2023-24, funds in respect of 38 employees were received from PFRDA, those have exercised migration from New Pension Scheme (NPS) to old pension scheme. On account of this, ESIC has determined the interest liability of ₹ 141.27 lakhs on GPF contribution of ₹ 252.41 lakh, which have been transferred in the General Provident Fund Account in such cases.																																
1.27	Rent receivable from states (1/8 share of rent calculated on buildings and municipal taxes on actual basis excluding Special repair and maintenance) for the year 2022-23 and 2023-24 is Rs. 66.07 crores and 66.48 crores respectively. Rent receivable for the year 2022-23 is shown as Prior period income under Schedule 26 and for the year 2023-24 is shown under "rent, rates and Taxes" in schedule-18, "Other Income".																																
1.28	An amount of ₹ 5899.27 crores is outstanding for recovery of arrears of contribution and interest as on 31.03.2024 out of which ₹ 3351.30 crore is not recoverable for the present due to various reasons. The details are as below:																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arrears not recoverable for the present</th> <th>₹ in crores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Amount of arrears disputed in courts</td> <td>1,770.06</td> </tr> <tr> <td>b) Amount under liquidation.</td> <td>623.63</td> </tr> <tr> <td>c) Amount pending with claim commissioner</td> <td>12.10</td> </tr> <tr> <td>d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.</td> <td>614.19</td> </tr> <tr> <td>e) Amount for which decree obtained but not executed</td> <td>1.31</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A</b></td> <td><b>3,021.29</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Dues from sick industries</th> </tr> <tr> <td>i) Cases in respect of Factories/Estts. registered with BIFR/ NCLT but rehabilitation scheme yet to be sanctioned</td> <td>231.07</td> </tr> <tr> <td>ii) Factories/Establishments which have been declared sick but rehabilitation scheme has been sanctioned.</td> <td>98.94</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL B</b></td> <td><b>330.01</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Recoverable dues as on 31.03.2024</th> </tr> <tr> <td>a) Employers whereabouts known but unit is closed</td> <td>194.24</td> </tr> <tr> <td>b) Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer</td> <td>2,353.73</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL C</b></td> <td><b>2,547.97</b></td> </tr> <tr> <td><b>GRAND TOTAL (A+B+C)</b></td> <td><b>5,899.27</b></td> </tr> </tbody> </table>	Arrears not recoverable for the present	₹ in crores	a) Amount of arrears disputed in courts	1,770.06	b) Amount under liquidation.	623.63	c) Amount pending with claim commissioner	12.10	d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	614.19	e) Amount for which decree obtained but not executed	1.31	<b>TOTAL A</b>	<b>3,021.29</b>	Dues from sick industries		i) Cases in respect of Factories/Estts. registered with BIFR/ NCLT but rehabilitation scheme yet to be sanctioned	231.07	ii) Factories/Establishments which have been declared sick but rehabilitation scheme has been sanctioned.	98.94	<b>TOTAL B</b>	<b>330.01</b>	Recoverable dues as on 31.03.2024		a) Employers whereabouts known but unit is closed	194.24	b) Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	2,353.73	<b>TOTAL C</b>	<b>2,547.97</b>	<b>GRAND TOTAL (A+B+C)</b>	<b>5,899.27</b>
Arrears not recoverable for the present	₹ in crores																																
a) Amount of arrears disputed in courts	1,770.06																																
b) Amount under liquidation.	623.63																																
c) Amount pending with claim commissioner	12.10																																
d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	614.19																																
e) Amount for which decree obtained but not executed	1.31																																
<b>TOTAL A</b>	<b>3,021.29</b>																																
Dues from sick industries																																	
i) Cases in respect of Factories/Estts. registered with BIFR/ NCLT but rehabilitation scheme yet to be sanctioned	231.07																																
ii) Factories/Establishments which have been declared sick but rehabilitation scheme has been sanctioned.	98.94																																
<b>TOTAL B</b>	<b>330.01</b>																																
Recoverable dues as on 31.03.2024																																	
a) Employers whereabouts known but unit is closed	194.24																																
b) Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	2,353.73																																
<b>TOTAL C</b>	<b>2,547.97</b>																																
<b>GRAND TOTAL (A+B+C)</b>	<b>5,899.27</b>																																



## वार्षिक लेखे 2023-2024

<b>2</b>	<b>आकस्मिक देयताएं</b>
2.1	विप्रो बनाम क.रा.बी. निगम के मामले में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात क.रा.बी.निगम ने दिनांक 10.02.2019 के मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में क.रा.बी.नि. ने दि. 24.08.2022 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास 100% मध्यस्थता राशि ₹ 5,53,15,19,748/- रुपये जमा कर दी है। वर्तमान में, मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के तहत विचाराधीन है।
2.2	क.रा.बी.निगम के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में दर्ज नहीं किया गया—राजस्व मामलों के लिए क.रा.बी.निगम के विरुद्ध मामलों की राशि ₹ 345.23 करोड़ है जिसमें 1767 मामले शामिल हैं।
<b>3</b>	<b>पूँजीगत प्रतिबद्धताएं</b>
3.1	दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार गैर-निष्पादित पूँजी अनुबंध की राशि ₹ 5372.49 करोड़ है।
<b>4</b>	<b>विदेशी मुद्रा लेन-देन</b>
4.1	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, विदेशी मुद्रा में ₹1.05 करोड़ व्यय किए गए हैं।
<b>5</b>	<b>अनुसूचियाँ</b>
	अनुसूची 1 से 26 तक संलग्न हैं तथा 31 मार्च 2024 तक के तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का अभिन्न अंग हैं।
<b>6</b>	करोड़ रुपये के निकटतम गुणज में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किये गये हैं।



<b>2</b>	<b>CONTINGENT LIABILITIES</b>
2.1	In respect of WIPRO Vs ESIC case, ESIC after approval of the Competent Authority has moved to Hon'ble Delhi High Court against the arbitral award dated 10.02.2019. Thereafter, ESIC has deposited 100% arbitral award amount of ₹ 5,53,15,19,748/- by 24.08.2022 with the Registrar General of Hon'ble Delhi High Court in compliance with direction of Hon'ble Delhi High Court after taking approval from competent authority. The present status of the case in Hon'ble Delhi High Court is under trial.
2.2	Claims against ESIC not acknowledged as Debt - Cases filed against ESIC for revenue matters is amounting to ₹ 345.23 crore involving 1767 cases.
<b>3</b>	<b>CAPITAL COMMITMENTS</b>
	Capital Contract remains unexecuted as on 31st March 2024 amounts to ₹ 5372.49 crore.
<b>4</b>	<b>FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS</b>
	Amounting to Rs. 1.05 Crore has been incurred in foreign currency during the financial year 2023-24.
<b>5</b>	<b>SCHEDULES</b>
	Schedule 1 to 26 are annexed to and form integral part of the Balance Sheet as on 31st March 2024 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.
<b>6</b>	Figures are rounded off to the nearest multiple of Rupees in crores upto two decimal places.



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### अनुसूची 26 – पूर्वावधि मदें

₹ करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
क) पूर्वावधि आय	68.17	1.80
ख) पूर्वावधि खर्च	0.64	2.55
<b>कुल</b>	<b>67.54</b>	<b>(0.75)</b>

नोट: ऋणात्मक आंकड़े कुल पूर्वावधि खर्च और इसके विपरीत की राशि को दर्शाते हैं।



## Schedule 26 – Prior Period Items

₹ in crore

Particulars	2023-24	2022-23
a) Prior Period Income	68.17	1.80
b) Prior Period Expenditure	0.64	2.55
<b>Total</b>	<b>67.54</b>	<b>(0.75)</b>

Note:

1) Negative figure represent Net Prior period expenditure and vice versa



सत्यमेव जयते



# वार्षिक लेखे 2023-2024

## निवेश - उद्दिष्ट आरक्षित निधियां

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण उद्दिष्ट निधियां	अथ शेष 01.04.2023	वर्ष के दौरान प्राप्तियां			निधि का अंतरण	निधि से भुगतान	वर्ष के दौरान निवल परिवर्धन ज=(ग+घ+ङ-च-छ)	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार शेष
			प्राधान्य/प्राप्तियां	निवेश पर ब्याज	सामान्य आरक्षित/अन्य प्राप्ति से अंतरण				
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	झ=(ख+ज)	
1	स्थायी निशक्ता हितलाम आरक्षित निधि	9,459.43	1,030.33	707.71	-	-	374.74	1,363.30	10,822.73
2	आश्रितजन हितलाम आरक्षित निधि	6,639.66	994.36	496.75	-	-	404.29	1,086.82	7,726.48
3	बीमाकृत व्यक्ति- कोविड-19 राहत योजना निधि	1,135.53	(279.45)	84.96	-	-	79.75	(274.24)	861.29
4	कार्यालय भवनों एवं स्टाफ आवासों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	-	7.39	-	22.93	-	30.32	-	-
5	अस्पताल भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1,460.81	84.02	109.29	-	-	96.05	97.26	1,558.07
6	अन्य परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	2,825.99	375.94	211.43	-	-	-	587.37	3,413.36
7	शिक्षा भवनों के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1,062.73	171.00	79.51	-	-	1.85	248.66	1,311.39
8	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि- पेंशन	10,924.78	919.78	817.35	1.98	-	603.47	1,135.64	12,060.42
9	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - उपदान	954.70	94.53	71.43	-	-	56.15	109.81	1,064.51
10	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - छुट्टी नकदीकरण	1,042.57	47.36	78.00	-	-	37.44	87.92	1,130.49
11	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि- पी.एम.एस.	179.02	7.43	13.39	2.37	-	20.54	2.65	181.67
12	क.रा.बी.नि. भविष्य निधि	1,227.62	135.05	84.17	-	-	198.57	20.65	1,248.27
	कुल	36,912.85	3,587.73	2,753.99	27.28	-	1,903.16	4,465.84	41,378.68





## Investment – Earmarked Reserve Funds

₹ in crore

Annexure-I

SL. No.	Particulars Earmarked Funds	Opening Balance 01.04.2023	Receipts during the year			Transfer the fund	Payment from the fund	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2024
			Provision / Receipts	Interest on Investment	Transfers from General Reserve/ Other receipt				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I= (B+H)
1	Permanent Disablement Benefit Reserve Fund	9,459.43	1,030.33	707.71	-	-	374.74	1,363.30	10,822.73
2	Dependent's Benenefit Reserve Fund	6,639.66	994.36	496.75	-	-	404.29	1,086.82	7,726.48
3	ESIC Covid-19 Relief Scheme Reserve Fund	1,135.53	(279.45)	84.96	-	-	79.75	(274.24)	861.29
4	Depreciation Reserve Fund of Office buildings and Staff quarters	-	7.39	-	22.93	-	30.32	-	-
5	Depreciation Reserve Fund of hospital buildings	1,460.81	84.02	109.29	-	-	96.05	97.26	1,558.07
6	Depreciation Reserve Fund of other Assets	2,825.99	375.94	211.43	-	-	-	587.37	3,413.36
7	Depreciation reserve fund for Medical Education Building	1,062.73	171.00	79.51	-	-	1.85	248.66	1,311.39
8	Employees Benefit Reserve Fund-Pension	10,924.78	919.78	817.35	1.98	-	603.47	1,135.64	12,060.42
9	Employees Benefit Reserve Fund-Gratuity	954.70	94.53	71.43	-	-	56.15	109.81	1,064.51
10	Employees Benefit Reserve Fund-Leave Encashment	1,042.57	47.36	78.00	-	-	37.44	87.92	1,130.49
11	Employees Benefit Reserve Fund-P M S	179.02	7.43	13.39	2.37	-	20.54	2.65	181.67
12	ESIC Provident Fund	1,227.62	135.05	84.17	-	-	198.57	20.65	1,248.27
	<b>Total</b>	<b>36,912.85</b>	<b>3,587.73</b>	<b>2,753.99</b>	<b>27.28</b>	<b>-</b>	<b>1,903.16</b>	<b>4,465.84</b>	<b>41,378.68</b>



सत्यमेव जयते



# वार्षिक लेखे 2023-2024

## निवेश - गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधियां

संलग्नक - II

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2023	वर्ष के दौरान निवेश	सीसीआरएफ/ अन्य निधियों से अंतरण	उद्दिष्ट निधियों को अंतरण	वर्ष के दौरान निवल जोड़	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार तक शेष
	क	ख	ग	घ	ङ	च=(ग+घ-ङ)	छ=(ख+च)
I	सामान्य आरक्षित निधि	93,285.00	12,549.19	867.59	4,465.84	8,950.94	102,235.94
	कुल क	93,285.00	12,549.19	867.59	4,465.84	8,950.94	102,235.94
क्र.सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2023	वर्ष के दौरान प्रावधान	अन्य निधियों से अंतरण	निधि से भुगतान	सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित निवल जोड़	दिनांक 31.03.2024 तक शेष
	क	ख	ग	घ	ङ	च=(ङ-ग)	छ=(ख-च)
II	आकास्मिकता आरक्षित निधि	75.00	-	-	-	-	75.00
III	पूजीगत निर्माण आरक्षित निधि	5,725.12	183.15	-	1,050.74	867.59	4,857.53
	कुल ख	5,800.12	183.15	-	1,050.74	867.59	4,932.53
	कुल योग (क+ख)	99,085.12					107,168.47



सत्यमेव जयते

## Investment – Non Earmarked Reserve Funds

### Annexure-II

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2023	Investment during the year	Transfers From CCRF/ Other Funds	Transfer to Earmarked Funds	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2024
	a	b	c	d	e	f = (c+d-e)	g = b+f
I	General Reserve Fund	93,285.00	12,549.19	867.59	4,465.84	8,950.94	102,235.94
	<b>Total A</b>	<b>93,285.00</b>	<b>12,549.19</b>	<b>867.59</b>	<b>4,465.84</b>	<b>8,950.94</b>	<b>102,235.94</b>
SL. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2023	Provision During the year	Transfers From Other Funds	Payments from the fund	Net Addition transferred to General Reserve Fund	Balance as on 31.03.2024
	a	b	c	d	e	f = (e-c)	g = b-f
II	Contingency Reserve Fund	75.00	-	-	-	-	75.00
III	Capital Construction Reserve Fund	5,725.12	183.15	-	1,050.74	867.59	4,857.53
	<b>Total B</b>	<b>5,800.12</b>	<b>183.15</b>	<b>-</b>	<b>1,050.74</b>	<b>867.59</b>	<b>4,932.53</b>
	<b>Grand Total (A+B)</b>	<b>99,085.12</b>					<b>107,168.47</b>



## वार्षिक लेखे 2023-2024

### क.रा.बी. निगम भविष्य निधि

### 31 मार्च, 2024 को सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान

प्राप्तियां	राशि ₹ करोड़ में	भुगतान	राशि ₹ करोड़ में
1. अथ शेष	1,212.79	1. अभिदाता को किया गया भुगतान	198.85
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	136.19	2. अंत शेष	1,234.30
3. जमा किया गया ब्याज	84.17		
4. घटाएं : अदावाकृत जमाओं में अंतरित राशि	-		
<b>कुल</b>	<b>1,433.15</b>	<b>कुल</b>	<b>1,433.15</b>

विवरण	सा.भ.नि. खातों के अनुसार ₹ करोड़ में	क.रा.बी.नि. खातों के अनुसार ₹ करोड़ में	अंतर ₹ करोड़ में
अथ शेष 01.04.2023 (क)	1,212.79	1,227.62	(14.83)
प्राप्ति 2023-2024 (ख)	136.19	135.05	1.14
ब्याज 2023-2024 (ग)	84.17	84.17	-
उप योग घ = (क+ख+ग)	1,433.15	1,446.85	(13.69)
भुगतान 2023-24 (ङ)	198.85	198.57	0.28
अंत शेष 31.03.2024 (घ-ङ)	<b>1,234.30</b>	<b>1,248.27</b>	<b>(13.97)</b>



## ESI CORPORATION PROVIDENT FUND G P F RECEIPTS AND PAYMENTS AS ON 31ST MARCH, 2024

RECEIPTS	AMOUNT ₹ in Crore	PAYMENTS	AMOUNT ₹ in Crore
1. Opening Balance	1,212.79	1. Payment to the subscribers	198.85
2. Receipt during the year	136.19	2. Closing Balance	1,234.30
3. Interest credited	84.17		
4. Less: Amount transferred to Unclaimed Deposits	-		
<b>TOTAL</b>	<b>1,433.15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,433.15</b>

PARTICULARS	As Per GPF Accounts ₹ in Crore	As per ESIC Accounts ₹ in Crore	Difference ₹ in Crore
Opening Balance 1.4.2023 (A)	1,212.79	1,227.62	(14.83)
Receipt 2023-24 (B)	136.19	135.05	1.14
Interest 2023-24( C)	84.17	84.17	-
Sub Total D ( A + B + C)	1,433.15	1,446.85	(13.69)
Payment 2023-24( E )	198.85	198.57	0.28
<b>Closing Balance 31.03.2024 (D - E)</b>	<b>1,234.30</b>	<b>1,248.27</b>	<b>(13.97)</b>



सत्यमेव जयते



# वार्षिक लेखे 2023-2024

## वर्ष 2023-2024 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

₹ करोड़ में

प्राप्तियाँ	2023-24	2022-23	भुगतान	2023-24	2022-23
I अथ शेष			I व्यय		
क) नकद रोकड़	0.02	0.02	क) बीमाकृत व्यक्तियों के हितलामों पर खर्च (अनुसूची 20 के तदनुसूच)	12,903.52	12,234.27
ख) बैंक शेष	-	-	ख) स्थापना खर्च (अनुसूची 21 के तदनुसूच)	1,426.78	1,325.57
ग) जमा खातों में	-	-	ग) अन्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 22 के तदनुसूच)	484.13	429.66
घ) बचत खाते	32.99	52.74	II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के निमित्त किए गए भुगतान	-	-
			III किए गए निवेश और जमा	-	-
			क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश	44,150.99	40,387.79
II प्राप्त किए गए अनुदान	-	-	IV स्थायी परिसंपत्ति पर खर्च और पूंजीगत कार्य की प्रगति	-	-
क) भारत सरकार से	-	-	क) स्थायी परिसंपत्ति की खरीद	15.89	68.40
ख) राज्य सरकार से	-	-	ख) प्रगतियों पर पूंजीगत कार्य पर खर्च	1,050.74	757.77
ग) अन्य स्रोतों से (विक्रय)	-	-	V अधिशेष धन/ऋण की वापसी	-	-
(पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)			क) भारत सरकार को	-	-
III निवेश से आय	-	-	ख) राज्य सरकार को	-	-
क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश	9,989.90	8,996.50	ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
IV प्राप्त किए गए ब्याज	-	-	VI वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
क) बैंक में जमा राशियों पर	12.06	9.22	VII अन्य भुगतान (चरित्वाचित करें)	-	-
ख) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम	0.10	0.15	क) विशेष मरमत एवं अनुसूच	62.82	103.86
V निवेश-परिवर्तता	31,601.80	29,611.92	ख) तृतीय पक्ष अग्रिम	688.88	943.23
VI आय-अंशदान	18,836.17	17,555.19	ग) कर्मचारी अग्रिम	13.12	14.27
VII उधार राशि	-	-	घ) प्रतिभूतियाँ एवं अन्य जमा राशियाँ	61.97	48.11
VIII कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)	-	-	ङ) पूर्व अग्रिम मदें	(0.31)	0.33
क) जमा (प्रतिभूति/बयाना जमा/विक्रय)	71.94	45.44	च) कर्मचारी हितलाम (सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, जीएसएलआईएस इत्यादि)	613.53	593.97
ख) विक्रित/शिक्षा प्राप्ति	65.67	56.58	छ) सांख्यिक देय राशि एवं अन्य कटौतियाँ	(7.63)	(5.30)
ग) कर्मचारी हितलाम निधि (पेंशन अंशदान, पीएमएस प्राप्ति इत्यादि)	561.53	524.36	VIII अंत शेष	-	-
घ) अन्य आय	461.12	524.77	क) नकद रोकड़	0.02	0.02
			ख) बैंक शेष	-	-
			ग) जमा खातों में	-	-
			घ) जमा खातों में	-	-
			ङ) बचत खाते	59.00	32.99
			च) धन प्रेषण	109.85	441.93
कुल	61,633.30	57,376.88	कुल	61,633.30	57,376.88

# RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24

₹ in crore

RECEIPTS	2023-24	2022-23	PAYMENTS	2023-24	2022-23
<b>I. Opening Balance</b>			<b>I. Expenses</b>		
a) Cash in hand	0.02	0.02	a) Expenditure On Benefits To Insured Persons (corresponding to Schedule 20)	12,903.52	12,234.27
b) Bank Balances	-	-	b) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 21)	1,426.78	1,325.57
i) In current accounts	-	-	c) Other Administrative Expenses (corresponding to Schedule 22)	484.13	429.66
ii) In deposit accounts	-	-	<b>II. Payments made against funds for various projects</b>	-	-
iii) Savings accounts	32.99	52.74	<b>III. Investments and Deposits made</b>	-	-
c) Remittances	-	-	Investments of ESIC Funds	44,150.99	40,387.79
<b>II. Grants Received</b>	-	-	<b>IV. Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital Work-in-Progress</b>		
a) From Government of India	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	15.89	68.40
b) From State Government	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	1,050.74	757.77
c) From other sources (details) (Grants for capital & revenue exp. To be shown separately)	-	-	<b>V. Refund of surplus money/Loans</b>	-	-
<b>III. Income on Investments from</b>			a) To the Government of India	-	-
Investments of ESIC Funds	9,989.90	8,996.50	b) To the State Government	-	-
<b>IV. Interest Received</b>			c) To other providers of funds	-	-
a) On Bank deposits	12.06	9.22	<b>VI. Finance Charges (Interest)</b>	-	-
b) Employees' Loans & Advances	0.10	0.15	<b>VII. Other Payments (Specify)</b>		
<b>V. Investment-Maturity</b>			a) Special Repair & Maintenance	62.82	103.86
<b>VI. Income - Contribution</b>			b) Third Party Advances	688.88	943.23
<b>VII. Amount Borrowed</b>			c) Employees' Advance	13.12	14.27
<b>VIII. Any other receipts (give details)</b>			d) Securities & Other Deposits	61.97	48.11
a) Deposits (Security /EMD/Misc.)	71.94	45.44	e) Prior Period Items	(0.31)	0.33
b) Medical Education Receipts	65.67	56.58	f) Employees Benefit (GPF ,NPS,GSLISetc.)	613.53	593.97
c) Employees Benefit Fund (Pension Contribution, PMS Receipt etc.)	561.53	524.36	g) Statutory Dues & other deduction	(7.63)	(5.30)
d) Other Income	461.12	524.77	<b>VIII. Closing Balances</b>		
	-	-	a) Cash in hand	0.02	0.02
	-	-	b) Bank Balances	-	-
	-	-	i) In current accounts	-	-
	-	-	ii) In deposit accounts	-	-
	-	-	iii) Savings accounts	59.00	32.99
	-	-	c) Remittances	109.85	441.93
<b>Total</b>	<b>61,633.30</b>	<b>57,376.88</b>	<b>Total</b>	<b>61,633.30</b>	<b>57,376.88</b>

## Annual Accounts 2023-2024



सत्यमेव जयते











क.रा.बी.नि.  
**E.S.I.C.**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Employees' State Insurance Corporation  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
भारत सरकार  
Ministry of Labour & Employment  
Government of India

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110 002  
Toll-Free No.1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839  
Website: [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in), [www.esic.in](http://www.esic.in)

[esic.gov.in](http://www.esic.gov.in) | [@esichq](https://www.facebook.com/esichq) | [@esichq](https://www.x.com/esichq) | [@esichq](https://www.youtube.com/esichq) | [@esichq](https://www.instagram.com/esichq) | [@esichq](https://www.linkedin.com/esichq)